पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–25] रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 30, 1945 शक सम्वत्) [संख्या–03

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	27–34	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	15–18	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	11–55	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण अनुभाग–2

अधिसूचना

08 जनवरी, 2024 ई0

संख्या 40/II(2)/2024–06(65)/2016–राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद हरिद्वार के तहसील हरिद्वार के अन्तर्गत आने वाले हरिपुर कलां से चण्डी पुल तक गंगा नदी के दायें तट हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 726/II(2)/2022-06(65)/2016, दिनांक 13 जुलाई, 2022 में संलग्न प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्रों की अनुसूची 01 और 02 में निर्दिष्ट क्षेत्रों को बाढ़ मैदान परिक्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात् :–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियॉं और समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्टं का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level)से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 40/II(2)/2024-06(65)/2016,** dated January 08, 2024 for general information.

NOTIFICATION

January 08, 2024

No. 40/II(2)/2024-06(65)/2016--In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act, No. 07 of 2013), the Governor is pleased to allow to sanction the execution of following work in these area by declaring the flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule 1 and 2 of Prohibited/Restricted areas of the previous notification no. 726/II(2)/2022-06(65)/2016, Dated 13 July, 2022 from Haripur kalan to the Chandi Ghat, Right Side of Ganga river of district Haridwar, namely :-

S.No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction activities regarding embankment/ flood management, mining, plantation, agriculture, construction of bathing ghats, river front development, irrigation, drinking water scheme, water sports, water transportation and bridge etc. Provided that compliance the basic spirit of the Act, the state government may by Gazette notification allow to permit in public interest, for a particular case, to do other works of similar nature in addition to the works as mentioned above, in such manner that river stream/ flow shall not get obstructed.
2.	Restricted Area	Activities regarding park, sports field, fisheries, agriculture etc. and the temporary/ permanent construction required for religious fairs from time to time shall be permissible after getting No Objection Certificate (N.O.C.)/examination from Uttarakhand Pey Jal Nigam that there are appropriate management for disposal of sewerage and solid waste created by the said activities in this area, the construction of existing reinous state structure shall be admissible up to limitation of existing land covering 35 percent floor area ratio 1:5 and up to maximum height 7.50 meter or double storey building with the restriction that the sewerage system is available in the area. In case of admissibility of construction, minimum plinth level of the building from High Flood Level (H.F.L) shall be kept 1.0 M high and the examination/ No Objection Certificate (N.O.C.) shall be necessary from the Uttarakhand Pey Jal Nigam for ensuring that there are appropriate provision of Sewerage treatment: Provided that compliance the basic spirit of the Act, the state government may by Gazette notification allow to permit in public interest, for a particular case, to do other works of similar nature in addition to the works as mentioned above, in such manner that river stream/ flow shall not get obstructed.

अधिसूचना

08 जनवरी, 2024 ई0

संख्या 41/II(2)/2024–06(18)/2020–राज्यपाल, उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 07 वर्ष 2013) की धारा 12 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनपद देहरादून के सीमान्तर्गत ऋषिकेश क्षेत्र में ढालवाला ड्रेन से पशुलोक बैराज एवं पशुलोक बैराज एवं हरिपुर कलां तक गंगा नदी के दायें तट तक (ऋषिकेश, खड़कमाफ, गौहरीमाफी, रायवाला एवं हरिपुर परगना–परवादून) हेतु पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 727/II(2)/2022-06(18)/2020, दिनांक 13 जुलाई, 2022 में संलग्न प्रतिषिद्ध/निर्बन्धित क्षेत्रों की अनुसूची 01 और 02 में निर्दिष्ट क्षेत्रों एवं जनपद देहरादून के राजस्व ग्राम वीरपुर खुर्द से सम्बन्धित संलग्न तालिका में उल्लिखित क्षेत्र को भी अन्तिम अधिसूचना में सम्मिलित कर बाढ़ मैदान परिक्षेत्र घोषित करते हुए, इन क्षेत्रों में निम्नवत् कार्य सम्पादित करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं; अर्थात्:–

क्र.सं.	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण/गतिविधियां। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि के सम्बन्ध में निर्माण/गतिविधियों और समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई/स्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का अनापत्ति प्रमाण पत्र/परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1:5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में उच्च बाढ़ तल (High Flood Level)से भवन का न्यूनतम प्लिंथ लेवल (Plinth Level) 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा। "परन्तु राज्य सरकार अधिनियम की मूल भावना का अनुपालन करते हुए, कि नदी की धारा/प्रवाह में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो, जनहित में, प्रकरण विशेष में, उपरोक्त उल्लिखित कार्य के साथ–साथ समान प्रकृति के अतिरिक्त अन्य कार्यों को भी करने की अनुमति राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा प्रदान कर सकेगी।"

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,

सचिव।

संलग्न तालिका

राजस्व ग्राम वीरपुर खुर्द (प्रतिषिद्ध क्षेत्र)

ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	खसरा नं0/ गाटा संख्या	बाढ़ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू उपयोग	
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार
वीरपुर खुर्द	273	94 घ	0.0270	संक्रमणीय भूमि	भवन निर्मित
		94 ङ	0.0486		
		95 ख	0.0078		
	128	94 ग	0.1280	संक्रमणीय भूमि	खाली भूमि
	274	94 क	0.0778	जलमग्न भूमि	खाला (रम्भा नदी)
		95 ग			

राजस्व ग्राम वीरपुर खुर्द (निर्बन्धित क्षेत्र)

ग्राम का नाम	खाता खतौनी संख्या	खसरा नं0/ गाटा संख्या	बाढ़ मैदानी परिक्षेत्र में स्थित भूमि की माप क्षेत्रफल है0 में	वर्तमान भू उपयोग	
				भूमि का प्रकार	संरचना का प्रकार
वीरपुर खुर्द	273	94 घ	0.0180	संक्रमणीय भूमि	भवन निर्मित
		94 ङ	0.0324		
		95 ख	0.0052		
	128	94 ग	0.0740	संक्रमणीय भूमि	खाली भूमि
	274	94 क	0.0959	जलमग्न भूमि	खाला (रम्भा नदी)
		95 ग			

आज्ञा से,

हरिचन्द्र सेमवाल,

सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of article 348 of the 'Constitution of India', the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **Notification No. 41/II(2)/2022-06(18)/2020,** dated January 08, 2024 for general information.

NOTIFICATION

January 08, 2024

No. 41/II(2)/2022-06(18)/2020--In exercise of the powers conferred by sub section (1) of section 12 of the Uttarakhand Flood Plain Zoning Act, 2012 (Uttarakhand Act, No. 07 of 2013), the Governor is pleased to allow to sanction the execution of following work in these area by declaring flood plain zoning to the mentioned area annexed schedule 1 and 2 of Prohibited/Restricted areas of the previous notification no. 727/II(2)/2022-06(18)/2020, Dated 13 July, 2022 from Dhalwala Drain to Pashulok Barradge, and Pashulok Barradge to Haripur kalan Right Side of Ganga river in Rishikesh area (Rishikesh, Khadakmaf, Gauhrimafi, Raiwala and Haripur Pargana Parawadun) along with area mentioned in attached table of revenue Village Veerpur Khurd of district Dehradun will also be included in the final notification namely:-

S.No.	Area	Details of Permissible Works
1.	Prohibited Area	Construction activities regarding embankment/ flood management, mining, plantation, agriculture, construction of bathing ghats, river front development, irrigation, drinking water scheme, water sports, water transportation and bridge etc. Provided that compliance the basic spirit of the Act, the state government may by Gazette notification allow to permit in public interest, for a particular case, to do other works of similar nature in addition to the works as mentioned above, in such manner that river stream/ flow shall not get obstructed.
2.	Restricted Area	Aactivities regarding park, sports field, fisheries, agriculture etc. and the temporary/ permanent construction required for religious fairs from time to time shall be permissible after getting No Objection Certificate (N.O.C.)/examination from Uttarakhand Pey Jal Nigam that there are appropriate management for disposal of sewerage and solid waste created by the said activities in this area, the construction of existing unsafe structure shall be admissible up to limitation of existing land covering 35 percent floor area ratio 1:5 and up to maximum height 7.50 meter or double storey building with the restriction that the sewerage system is available in the area. In case of admissibility of construction, minimum plinth level of the building from High Flood Level (H.F.L) shall be kept 1.0 M high and the examination/ No Objection Certificate (N.O.C.) shall be necessary from the Uttarakhand Pey Jal Nigam for ensuring that there are appropriate provision of Sewerage treatment. Provided that compliance the basic spirit of the Act, the state government may by Gazette notification allow to permit in public interest, for a particular case, to do other works of similar nature in addition to the works as mentioned above, in such manner that river stream/ flow shall not get obstructed.

By Order,

H.C. SEMWAL,

Secretary.

Attached Table

Revenue Village Virpur Khurd (Prohibited Areas)

Name of Village	Khata Khatauni No.	Khasra No./ Gata No.	Measurement of area of land in Flood Plain Zone(In ha.)	Current Type of Land Use	
				Type of Land	Type of Structure
Virpur Khurd	273	94 D	0.0270	Transferable Land	Building Constructed
		94 E	0.0486		
		95 B	0.0078		
	128	94 C	0.1280	Transferable Land	Vacant Land
	274	94 A	0.0778	Submerged Land	Khala (Rambha River)
		95 C			

Revenue Village Virpur Khurd (Restricted Areas)

Name of Village	Khata Khatauni No.	Khasra No./ Gata No.	Measurement of area of land in Flood Plain Zone(In ha.)	Current Type of Land Use	
				Type of Land	Type of Structure
Virpur Khurd	273	94 D	0.0180	Transferable Land	Building Constructed
		94 E	0.0324		
		95 B	0.0052		
	128	94 C	0.0740	Transferable Land	Vacant Land
	274	94 A	0.0959	Submerged Land	Khala (Rambha River)
		95 C			

By Order,

H.C. SEMWAL,

Secretary.

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग–4

विज्ञप्ति / नियुक्ति

11 जनवरी, 2024 ई0

संख्या 08 / XXX(4)/2024–04(1) / 2018–टी0सी0–उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा नियमावली, 2004 यथासंशोधित नियमावली, 2016 के नियम–22(2) के प्राविधानानुसार, मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा चयन परीक्षा–2019 में सीधी भर्ती के माध्यम से चयनित अभ्यर्थी को नियुक्ति प्रदान किये जाने हेतु, महानिबन्धक, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या–4947 / UHC/Admin.A-2 / 2023, दिनांक 05 सितम्बर, 2023 द्वारा रिट पिटीशन (S/B) संख्या–35 / 2021, अजय डुंगराकोटी बनाम उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा दिनांक 22.08.2022 को पारित आदेश के अनुपालनार्थ की गई संस्तुति के सापेक्ष निम्नलिखित अभ्यर्थी को उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा संवर्ग के वेतनमान ₹ 51550–1230–58930–1380–63070 (दिनांक 08 सितम्बर, 2022 से पुनरीक्षित वेतनमान ₹ 144840–194660, लेवल J-5) में दिनांक 01.04.2020 से अस्थायी रूप से नियुक्त किये जाने तथा उनकी ज्येष्ठता एवं वेतन का निर्धारण भी नोशनली दिनांक 01.04.2020 से किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	नाम	वर्तमान पता	अभ्युक्ति
1.	श्री अजय डुंगराकोटी	कस्तुरी विहार, निकट बाई चांस स्टोर, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखण्ड	सीधी भर्ती

2–श्री अजय डुंगराकोटी की ज्येष्ठता एवं वेतन का निर्धारण दिनांक 01.04.2020 से किया जायेगा तथा दिनांक 01.04.2020 से उनके उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा में वास्तविक योगदान किये जाने की तिथि तक कोई भी पूर्व वेतन (Back Wages) देय नहीं होगा।

3–उक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिये श्री राज्यपाल परिवीक्षा पर रखते हैं। उक्त अभ्यर्थी के तैनाती आदेश मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,

शैलेश बगौली,

सचिव।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा अनुभाग–1

अधिसूचना / त्याग–पत्र स्वीकृति

09 जनवरी, 2024 ई0

E./Comp. No. 180644/XXVIII-1-55132/2023–एतद्द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या–2प / रा0मा0 / 53 / 2020 / 37937, दिनांक 13.12.2023 के क्रम में उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग–पत्र नियमावली, 2003 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत डा0 पल्लवी टोलिया, स्त्रीरोग विशेषज्ञ, महिला चिकित्सालय हल्द्वानी, नैनीताल का त्याग–पत्र दिनांक 06.01.2024 से स्वीकृत करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

अमनदीप कौर,

अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट / 03–भाग 1–2024 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रूड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2024 ई0 (पौष 30, 1945 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 18, 2023

No. 404/XIV-14/Admin.A/2008--Shri Dharmendra Singh Adhikari, the then 3rd Additional District & Sessions Judge, Dehradun presently posted as 4th Additional District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 11 days w.e.f. 07.10.2023 to 17.10.2023..

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Vigilance).

NOTIFICATION

December 18, 2023

No. 405/XIV/a-36/Admin.A/2018--Ms. Tanuja Kashyap, Civil Judge (Jr. Div.) Nainital is hereby sanctioned child care leave for 20 days w.e.f. 11.09.2023 to 30.09.2023 with permission to prefix 09.09.2023 & 10.09.2023 as second Saturday and Sunday holidays respectively and suffix 01.10.2023 and 02.10.2023 as Sunday and Mahatma Gandhi holidays respectively.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar General.

NOTIFICATION

December 22, 2023

No. 406/UHC/Admin.A-2/2023--Vide letter No. 523/XXX(4)/2023-04(27)/2023 dated 22.12.2023, Shri Karmendra Singh Additional Secretary, Personnel & Vigilance Section-04, Government of Uttarakhand has communicated to this Hon'ble Court that Technical Resignation of Ms. Shristi Shukla, Judicial Magistrate-II, Dehradun has been accepted w.e.f. afternoon of 22.12.2023 to join U.P. Judicial Service. The above stated letter reads as under:

"उपरोक्त विषय से संबंधित आपके पत्र दिनांक 05 दिसम्बर, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग पत्र नियमावली, 2003 के नियम–2 के खण्ड (दो) के परन्तुक में दी गयी व्यवस्थानुसार, नोटिस की बाध्यता से छूट प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में योगदान दिये जाने हेतु सुश्री सृष्टि शुक्ला, द्वितीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून का, इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपराह्न से तकनीकी त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है।

NOTIFICATION

December 22, 2023

No. 407/UHC/Admin.A-2/2023--Vide letter No. 524/XXX(4)/2023-04(27)/2023 dated 22.12.2023, Shri Karmendra Singh Additional Secretary, Personnel & Vigilance Section-04, Government of Uttarakhand has communicated to this Hon'ble Court that Technical Resignation of Ms. Shaifali Chandravanshi, Judicial Magistrate-III, Dehradun has been accepted w.e.f. afternoon of 22.12.2023 to join U.P. Judicial Service. The above stated letter reads as under:

"उपरोक्त विषय से संबंधित आपके पत्र दिनांक 12 दिसम्बर, 2023 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड सरकारी सेवक त्याग पत्र नियमावली, 2003 के नियम–2 के खण्ड (दो) के परन्तुक में दी गयी व्यवस्थानुसार, नोटिस की बाध्यता से छूट प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में योगदान दिये जाने हेतु सुश्री शैफाली चन्द्रवंशी, तृतीय न्यायिक मजिस्ट्रेट, देहरादून का, इस आदेश के जारी होने के दिनांक के अपराह्न से तकनीकी त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है।

भवदीय,
कर्मेन्द्र सिंह,
अपर सचिव"

By Order of Hon'ble the Acting Chief Justice,
Sd/-
ASHISH NAITHANI,
Registrar General.

NOTIFICATION

December 23, 2023

No. 408/XIV-a-31/Admin.A/2016--Shri Vishal Vashisht, Civil Judge (Jr. Div.) Joshimath District Chamoli is hereby sanctioned earned leave for 13 days w.e.f. 09.10.2023 to 21.10.2023 with permission to prefix 08.10.2023 as Sunday holiday and suffix 22.10.2023 to 24.10.2023 as Dussehra holidays.

NOTIFICATION

December 23, 2023

No. 409/XIV-a-43/Admin.A/2015--Ms. Mamta Pant, 5th Additional Civil Judge (Sr. Div.) Dehradun is hereby sanctioned medical leave for 09 days w.e.f. 16.09.2023 to 24.09.2023.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar General.

NOTIFICATION

December 27, 2023

No. 410/XIV-a-22/Admin.A/2011--Ms. Rinky Sahni, Civil Judge (Sr. Div.) Dehradun is hereby sanctioned Child Care leave for 21 days w.e.f. 25.09.2023 to 15.10.2023 with the permission to prefix 24.09.2023 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 27, 2023

No. 411/XIV-a-28/Admin.A/2020--Ms. Jasmeet Kaur, Civil Judge (Jr. Div.) Ranikhet District Almora is hereby sanctioned Child Care leave for 41 days w.e.f. 11.09.2023 to 21.10.2023 with permission to prefix 10.09.2023 as Sunday holiday and suffix 22.10.2023 to 24.10.2023 as Dussehra holidays.

NOTIFICATION

December 27, 2023

No. 412/XIV-a/45/Admin.A/2012--Ms. Lalita Singh, Additional Judge, Family Court, Rishikesh, District Dehradun is hereby sanctioned child care leave 23 days w.e.f. 05.09.2023 to 27.09.2023 with permission to suffix 28.09.2023 as Milad-Un-Nabi holiday.

NOTIFICATION

December 27, 2023

No. 413/XIV-35/Admin.A/2008--Shri Ramesh Singh, Chief Judicial Magistrate, Nainital is hereby sanctioned medical leave for 14 days w.e.f. 20.11.2023 to 03.12.2023.

NOTIFICATION

December 27, 2023

No. 414/XIV-a/34/Admin.A/2012--Ms. Niharika Mittal Gupta, 1st Additional Chief Judicial Magistrate, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 15 days w.e.f. 16.11.2023 to 30.11.2023 with permission to prefix 11.11.2023 to 14.11.2023 as Deepawali holidays and 15.11.2023 as local holiday respectively.

NOTIFICATION

December 28, 2023

No. 415/XIV/50/Admin.A--Shri Pradeep Pant, District & Sessions Judge, Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 10 days w.e.f. 03.10.2023 to 12.10.2023.

NOTIFICATION

December 28, 2023

No. 416/XIV-2/Admin.A/2008--Shri Pradeep Kumar Mani, Judge, Family Court, Tehri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 06 days w.e.f. 16.10.2023 to 21.10.2023 with permission to prefix 14.10.2023 & 15.10.2023 as second Saturday and Sunday holidays respectively and suffix 22.10.2023 to 24.10.2023 as Dussehra holidays.

NOTIFICATION

December 28, 2023

No. 417/XIV-a-22/Admin.A/2011--Ms. Rinky Sahni, Civil Judge (Sr. Div.) Dehradun is hereby sanctioned maternity leave for 180 days w.e.f. 20.03.2023 to 15.09.2023.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Vigilance).

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/03—भाग 1—क—2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक—अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2024-2026

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 20 जनवरी, 2024 ई० (पौष 30, 1945 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

सूचना

In the educational certificate of my daughter Rachel High School Board ICSC year 2014 Unique ID 5756662 my name Pooja is wrongly entered, Correct name is Pooja Masih. In future my daughter should be known as Rachel D/o Pooja Masih W/o Mukesh Masih.

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Pooja Masih W/o Mukesh Masih
Resident Seventh Day Adventist Inter
College, Ashafnagar Roorkee, Haridwar
Uttarakhand.

सूचना

मैं जुगेंद्री देवी माता जी नं. JC-779330K नायब सूबेदार सिंह देवराज चौधरी यूनिट 606 EME BN पिन 906606, C/O 56 APO मेरे पुत्र के सर्विस रिकॉर्ड मे मेरा नाम Jugandri Devi गलत दर्ज है, जबकि मेरा सही नाम Jugendri Devi है।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Jugendri Devi C/o नायब सूबेदार सिंह देवराज चौधरी
119 Fd Wksp Coy EME, Pin-906119
C/o 56 APO, Roorkee, Distt.- Haridwar.

सूचना

मेरे पुत्र की हाईस्कूल की मार्कशीट में त्रुटिवश पुत्र का नाम अमन दर्ज हो गया है जबकि पुत्र का सही नाम अमन सिंह है। भविष्य में पुत्र को अमन सिंह के नाम से जाना जाये।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

विक्रम सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह
निवासी– म.नं. – 69 अम्बेडकर
कालोनी प्रथम, डी.एल.रोड, देहरादून
उत्तराखण्ड।

सूचना

मेरा नाम विवाह से पूर्व निशि रावत (Nishi Rawat) पुत्री श्री विश्वेश्वर सिंह रावत था विवाह के पश्चात् मैंने अपना नाम प्राज्ञीका हीत बिष्ट कर लिया है, भविष्य में मुझे (Pragyeeka Heet Bisht) पत्नी श्री कविन्द्र हीत बिष्ट के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जाए।

समस्त विधिक औपचारिकताऐं मेरे द्वारा पूर्ण कर ली गई हैं।

Pragyeeka Heet Bisht पत्नी श्री कविन्द्र हीत बिष्ट
निवासी 61 न्यू कालोनी बल्लूपुर देहरादून।

सूचना

कुछ शैक्षिक अभिलेखों में मेरा नाम पूनम रानी तथा कुछ में पूनम चौधरी अंकित है जबकि वर्तमान में मेरा प्रचलित नाम पूनम चौधरी है अतः भविष्य में मुझे पूनम चौधरी पत्नी श्री लोकेश कुमार निवासी कपूरी निवास निकट चौधरी कॉम्पलैक्स, हरिद्वार रोड, लक्सर हरिद्वार के नाम से जाना–पहचाना पढ़ा व लिखा जाए।

पूनम चौधरी पत्नी श्री लोकेश कुमार
निवासी कपूरी निवास निकट चौधरी
कॉम्पलैक्स, हरिद्वार रोड, लक्सर हरिद्वार

कार्यालय–नगर निगम, काशीपुर जिला–ऊधमसिंह नगर

हाट बाजार हेतु उपविधि

21 फरवरी, 2023 ई0

पत्रांक 1802/मु0कार्यालय/2022–23–नगर निगम काशीपुर, जिला ऊधमसिंह नगर (उत्तराखण्ड) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित हाट बाजार सम्बन्धी एवं नगर निगम सम्पत्ति/सरकारी सम्पत्ति पर लगने वाले फड़/ठेला आदि से तहबाजारी शुल्क वसूली एवं नगर निगम सम्पत्ति/सरकारी सम्पत्ति पर अस्थायी अतिक्रमण बाबत् जुर्माना लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर आपत्ति नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर को सम्बोधित करते हुए कार्यालय नगर निगम काशीपुर में प्रस्तुत किये जा सकते है, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगर निगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाले हाट बाजार हेतु उपविधि

01- नगर निगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाले हाट बाजार हेतु उपविधि विद्यमान उपविधियों को अतिक्रमित करते हुए, यह उपविधि नगर निगम काशीपुर की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित हाट बाजार को नियन्त्रित करने हेतु निजी सम्पत्ति पर हाट बाजार हेतु उपविधि वर्ष 2023 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

02- परिभाषा:-

(क)- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।
(ख)- नगर निगम सीमा से तात्पर्य-नगर निगम काशीपुर हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।
(ग)- नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग से तैनात नगर आयुक्त से है।
(घ)- मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर(महापौर) से है।
(ङ)- प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा।
(च)- बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है।
(छ)- शासन से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।
(ज)- प्रतिवर्षसे तात्पर्य वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

03- नगर निगम, काशीपुर की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति पर हाट बाजार लगाने हेतु नगर निगम, काशीपुर द्वारा इस उपनियम के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अनुमति उपरान्त ही हाट बाजार का स्थापन/संचालन कर सकते हैं।

04- निजी सम्पत्ति पर हाट बाजार संचालन हेतु नगर निगम, काशीपुर द्वारा नगरान्तर्गत व्यवसाय करने हेतु जारी किये जाने वाला ट्रेड लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

05- हाट बाजार संचालन हेतु निम्नानुसार व्यवस्थाएं हाट बाजार संचालक द्वारा स्वयं की जानी अनिवार्य होंगी:-

(1) पार्किंग हेतु पर्याप्त क्षेत्र (बाजार लगने वाले कुल क्षेत्र का 10 से 15 प्रतिशत)
(2) बाजार में संचरण हेतु पथ मार्ग/रास्ता (बाजार लगने वाले कुल क्षेत्र का 20 से 25 प्रतिशत)
(3) पर्याप्त पीने के पानी की व्यवस्था।
(4) शौचालय की व्यवस्था (महिला/पुरूष के लिए पृथक-पृथक)
(5) दुकानदारों के लिए विद्युत संयोजन तथा स्थल पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था।
(6) अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था।
(7) सुरक्षा की दृष्टि से सी0सी0टी0वी0 व पर्याप्त कैमरे तथा इसका कम-से-कम 01 माह के बैकअप की व्यवस्था की जाये।
(8) बाजार का अधिकृत मानचित्रकार द्वारा बना नक्शा प्रस्तुत करना होगा।

(9) बाजार में लगने वाले सभी फड़ व्यवसायियों को प्रस्तावित दुकानों की लम्बाई, चैड़ाई के अनुसार निर्धारित दर सार्वजनिक स्थल पर दृश्यव्य स्थान पर बड़े अक्षरों में जिसे कि आसानी से पढ़ा जा सके, प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। जिसकी एक प्रति नगर निगम कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।

(10) हाट बाजार का प्रबन्धन एवं संचालन इस प्रकार किया जायेगा कि बाजार से लगे हुए सार्वजनिक मार्ग में यातायात किसी भी प्रकार से बाधित न हो। हाट बाजार के कारण यातायात बाधित होने पर लाईसेन्स प्राप्तकर्ता नियमानुसार दण्ड का भागी होगा, द्वितीय बार दण्ड की धनराशि दुगनी होगी।

(11) बाजार सम्बन्धी भूमि के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे एवं यदि भूमि किराये पर ली गयी है, तो नॉन ज्यूडिशल शपथ पत्र पर किरायानामा प्रस्तुत करना होगा।

06- हाट बाजार का समय-समय पर/आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने का अधिकार नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (सहायक नगर आयुक्त/कर अधीक्षक/कर निरीक्षक) को होगा।

07- हाट बाजार में किसी भी सामग्री की बिक्री प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों में नहीं की जायेगी तथा प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों का उपयोग किये जाने पर नियमानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

08- नगर निगम सीमान्तर्गत लगने वाले हाट बाजार में कोई भी व्यक्ति/संस्था ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नहीं करेगा जिस पर राज्य सरकार/शासन द्वारा पूर्ण निशेध किया जा चुका हो।

09- केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा निगम के नियन्त्रण हेतु लाईसेन्स इन उपविधियों से भिन्न होंगे।

10- निजी सम्पत्ति पर व्यक्ति/संस्था द्वारा हाट बाजार संचालन हेतु नगर निगम में कर-विभाग के दुकान किराया अनुभाग में शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। जिस हेतु निम्न शुल्क देय होगा:-

01- सप्ताह में एक दिन लगने वाले हाट बाजार हेतु:-

(01 से 50 तक दुकानें/फड़ होने पर)	रू0 60,000/-(साठ हजार) प्रतिवर्ष
(51 से 100 तक दुकानें/फड़ होने पर)	रू0 1,00,000/-(एक लाख) प्रतिवर्ष
(101 से अधिक दुकानें/फड़ होने पर)	रू0 1,30,000/-(एक लाख तीस हजार) प्रतिवर्ष

02- सप्ताह में दो दिन लगने वाले हाट बाजारों हेतु:-

(01 से 50 तक दुकानें/फड़ होने पर)	रू0 1,20,000/-(एक लाख बीस हजार) प्रतिवर्ष
(51 से 100 तक दुकानें/फड़ होने पर)	रू0 1,50,000/-(एक लाख पचास हजार) प्रतिवर्ष
(101 से अधिक दुकानें/फड़ होने पर)	रू0 2,20,000/-(दो लाख बीस हजार) प्रतिवर्ष

03- सप्ताह में तीन दिन या तीन दिन से अधिक दिन लगने वाले हाट बाजारों हेतु:-

(01 से 50 तक दुकानें/फड़ होने पर)	रू0 1,80,000/-(एक लाख अस्सी हजार) प्रतिवर्ष
(51 से 100 तक दुकानें/फड़ होने पर)	रू0 1,60,000/-(एक लाख साठ हजार) प्रतिवर्ष
(101 से अधिक दुकानें/फड़ होने पर)	रू0 2,50,000/-(दो लाख पचास हजार) प्रतिवर्ष

11- नियम-10 में निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत जमा करने के उपरान्त ही लाईसेन्स देय होगा।

12- नियम-10 के उपनियम (1,2,3) में अंकित शुल्क में प्रतिवर्ष15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

13- उपविधि द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि पूर्णांक में नहीं होने पर निकटतम अधिकतम पूर्णांक के रूप में गणना की जायेगी।

14- हाट बाजार में आने वाले बाहरी व्यक्तियों (उत्तराखण्ड से पृथक) का अभिलेखीय सत्यापन अनिवार्य होगा।

15- मांस की बिक्री हेतु लगने वाली दुकानों एवं फड़ों में प्रत्येक प्रकार के मांस का रख-रखाव विक्रय मानकों के अनुरूप किया जाना भी अनिवार्य होगा।

16- हाट बाजार की कुल राशि को दो समान किस्तों में माह अप्रैल व जुलाई में जमा कराना अनिवार्य होगा। अपरिहार्य परिस्थिति में नगर आयुक्त की अनुमति से साधारण ब्याज के साथ किस्त जमा की जा सकती है, परन्तु उसमें दो माह से अधिक का विलम्ब स्वीकृत नहीं होगा।

हाट बाजार लगाये जाने हेतु उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त का भी उल्लंघन करने पर बाजार लगाये जाने वाले व्यक्ति/संस्था पर 25,000/- तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। आरोपित शर्तों का तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त की जायेगी। अर्थदण्ड को यदि व्यक्ति/संस्था द्वारा निगम कोष में नहीं जमा किया जाता है, तो भू-राजस्व की भांति वसूला जायेगा।

तहबाजारी उपविधि

01- तहबाजारी उपविधि इस सम्बन्ध में विद्यमान उपविधियों को अतिक्रमित करते हुए, यह उपविधि नगर निगम काशीपुर की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत तहबाजारी वसूली हेतु तहबाजारी वसूली हेतु उपविधि वर्ष 2023 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

02-परिभाषा:-

(क)- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।

(ख)- नगर निगम सीमा से तात्पर्य-नगर निगम काशीपुर हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।

(ग)- नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग से तैनात नगर आयुक्त से है।

(घ)- मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर(महापौर) से है।

(ङ)- प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा।

(च)- बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है।

(छ)- शासन का तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।

(ज)- प्रतिवर्ष का तात्पर्य वित्तीय वर्ष01 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

(झ)- तहबाजारी शुल्क का तात्पर्य नगर निगम सीमान्तर्गत फड़, ठेले, पटरी, सड़क, निजी भूमि (वैध/अवैध), सरकारी भूमि पर व्यापार करने वालों से नगर निगम द्वारा लिये जाने वाले दैनिक शुल्क से होगा।

(ञ)- फड़ से तात्पर्य लकड़ी या किसी धातु से बना स्ट्रक्चर, सड़क के किनारे जमीन पर खुले में बैठकर व्यवसाय करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा फल, सब्जी, खाने की सामग्री एवं अन्य वस्तुएं आदि (प्रतिबन्धित वस्तुओं को छोड़ते हुए) का व्यापार करने हेतु उपयोग किया जा रहा है।

(ट)- ठेला से तात्पर्य- ऐसे व्यवसायी से है, जो बिना किसी स्थायी निर्मित संरचना के अस्थायी या चलायमान दुकान पर सामग्री रखकर बिक्री करता है।

03- तहबाजारी शुल्क रसीद नियम-2 के उपनियम(झ) में परिभाषित शुल्क हेतु नगर निगम से शुल्क प्राप्ति के सम्बन्ध में दी जाने वाली रसीद से है। इस रसीद से व्यापारी के सम्बन्धित व्यापार स्थल पर कोई अधिकारी आरोपित नहीं होंगे।

04- फड़/ठेला स्वामियों से लिये जाने वाला तहबाजारी शुल्क निम्नानुसार है:-

05- तहबजारी शुल्क:-

(1) 4x6 वर्ग फिट फड़/ठेला = 50 रू0 प्रतिदिन।(24 वर्ग फिट तक)

(2) 6 x 8 वर्ग फिट फड़/ठेला = 75 रू0 प्रतिदिन।(25 वर्ग फिट से 48 वर्ग फिट तक)

(3) 6 x 8 वर्ग फिट से अधिक फड़/ठेला = 150 रू0 प्रतिदिन।(48 वर्ग फिट से अधिक)

06- नियम-6 के उपनियम (1,2,3) में अंकित शुल्क में प्रतिवर्ष10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। फड़/ठेला व्यवसायी द्वारा सामान की बिक्री प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों में नहीं की जायेगी तथा प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों का उपयोग किये जाने पर नियमानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

07- उपविधि द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि पूर्णांक में नहीं होने पर निकटतम अधिकतम पूर्णांक के रूप में गणना की जायेगी।

08- जिस दिवस में पूरे 24 घण्टे व्यवसाय नहीं करने पर उस दिवस की तहबाजारी देय नहीं होगी, दिन के किसी भी भाग में व्यवसाय करने पर तहबाजारी देय होगी।

10- फड़/ठेला स्वामी द्वारा नगर निगम, काशीपुर द्वारा व्यापार करने हेतु जारी किये जाने वाला ट्रेड लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

11- खाद्य सामग्री, फास्ट फूड आदि सम्बन्धी व्यवसाय करने वाले फड़/ठेला/फूड वैन व्यवसायी को अपने आस-पास सफाई व्यवस्था एवं सूखा, गीला कूड़ा निस्तारण हेतु पृथक-पृथक डस्टबिन ठेले पर लगाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में सार्वजनिक स्थल पर थूकना एवं कूड़ा फेंकना प्रतिशेध अधिनियम 2016 की सम्यक धाराओं के अन्तर्गत अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा (सार्वजनिक स्थल पर अतिक्रमण उपविधि-2023)।

12- हाट बाजार में फड़/ठेला स्वामी द्वारा व्यवसाय इस तरह से किया जाये कि सफाई व्यवस्था में बाधा, जन सामान्य के आवागमन में बाधा एवं अतिक्रमण की स्थिति उत्पन्न न हो, ऐसा होने की स्थिति में नियमानुसार जुर्माना आरोपित करते हुए सम्बन्धित सामान को जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

13- तहबाजारी वसूली नगर निगम सीमान्तर्गत व्यापार करने हेतु की जाती है, इसके अन्तर्गत दी जाने वाली तहबाजारी की रसीद सम्बन्धित का उस स्थान पर कब्जा, स्थायी कब्जा या स्वामित्व निर्धारित नहीं करेगी।

अतिक्रमण उपविधि

नगर निगम भूमि, भवन, सम्पत्ति (वाहन, पार्क, पोल आदि) मार्ग आदि पर अस्थायी अतिक्रमण करना प्रतिशेध उपविधि-2023

01- नगर निगम भूमि, भवन, सम्पत्ति (वाहन, पार्क, पोल आदि) मार्ग आदि पर अस्थायी अतिक्रमण करना प्रतिशेध उपविधि विद्यमान उपविधियों को अतिक्रमित करते हुए, यह उपविधि नगर निगम, काशीपुर की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत भूमि, भवन, सम्पत्ति(वाहन, पार्क, पोल आदि) मार्ग आदि पर अस्थायी अतिक्रमण करना प्रतिशेध उपविधि -2023 कहलायेगी जो यह गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

02-परिभाषा:-

(क)- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।

(ख)- नगर निगम सीमा से तात्पर्य-नगर निगम काशीपुर हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।

(ग)- नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर मेंशासन के कार्मिक विभाग से तैनात नगर आयुक्त से है।

(घ)- मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर(महापौर) से है।

(ड़)- प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा।

(च)- बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है।

(छ)- शासन से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।

(ज)- प्रतिवर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

03- नगर निगम के भूमि, भवन, सम्पत्ति मार्ग आदि पर अतिक्रमण कर उपयोग करने/व्यापार करने एवं सार्वजनिक कार्यों में बाधा डालने वाले व्यक्ति को प्रथम दृश्टया मौखिक रूप से नगर निगम के नगर आयुक्त, उनके प्रतिनिधि द्वारा भूमि, भवन, रास्ते को तत्काल प्रभाव से जुर्माना आरोपित करते हुए खाली करने के निर्देश दिये जायेंगे।

04- अतिक्रमी के लिए स्थल, भवन, मार्ग खाली करना बाध्यकारी होगा।

05- दूसरी बार अतिक्रमण करते हुए पाये जाने पर जुर्माने की रकम दुगनी होगी।

06- अतिक्रमण स्थल से जब्त की हुई वस्तुएं नगर आयुक्त के निर्णयानुसार 0, 15, 30 दिन तक जब्त रखते हुए जुर्माने के बराबर की धनराशि जमा कराकर छोड़ी जायेगी।

07- नियम-3 के अन्तर्गत आरोपित जुर्माना निम्नानुसार होगा:-

(1) ठेले (चलायमान) द्वारा अतिक्रमण - रू0 100/- प्रति ठेला

(2) फड़/खोखा द्वारा रोड पटरी पर अतिक्रमण - रू0 200/- प्रति ठेला

(3) रोड/पटरी पर दुकान द्वारा अतिक्रमण - रू0 100/- प्रति वर्ग फुट

(4) किसी स्थायी दुकानदार के सामने पटरी पर, ठेले पर अतिक्रमण की दशा में ठेले से रू0 100/- जबकि दुकानदार से रू0 100/- प्रति वर्ग फुट।

08- विवाद की स्थिति में स्थानीय न्यायालय, काशीपुर का क्षेत्राधिकार रहेगा।

09- उपविधि द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि पूर्णांक में नहीं होने पर निकटतम अधिकतम पूर्णांक के रूप में गणना की जायेगी।

10- अर्थदण्ड के बाद भी खाली न करने पर बलपूर्वक खाली कराये जाने पर होने वाला व्यय तत्समय में प्रभावी बाजार दर से वसूला जायेगा।

11- अर्थदण्ड की धनराशि या अतिक्रमण हटाने में होने वाले व्यय की धनराशि या दोनों जमा न करने पर धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूल की जायेगी।

12- अर्थदण्ड आरोपित/निर्धारित करने की शक्ति नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी को होगी।

स्थान: काशीपुर

दिनांक: 09.10.2023

विवेक राय,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, काशीपुर।

ऊषा चौधरी,
महापौर,
नगर निगम काशीपुर।

पशुओं उपविधि

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरुप, पालतू श्वानपशुओं के अनुज्ञाकरण एवं नियमन हेतु प्रस्तावित नियमावली का आलेख

Proposed Draft Rules for Licensing & Regulation of Pedigreed Pet Dogs, in compliance to orders from Hon'ble Nainital High Court

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरूप पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु आदर्श नियमावली के सृजन हेतु विभिन्न कानूनी प्राविधानों, मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मा० उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत विभिन्न मार्गदर्शी निर्णयों की सन्दर्भ सूची (Reference List) :-

Reference	विषय	पृष्ठ सं०
	प्रस्तावित आदर्श नियमावली	
Reference-1	मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 84/17 (गिरीश चन्द्र खोलिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार) पर दिनांक 14 जून, 2018 को निर्गत अन्तरिम आदेश	20
Reference-2	दिनांक 02 जुलाई 2018 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत्त (बिन्दु संख्या - 4)	20
Reference-3	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या 560/XV-1/18/4 (20) / 2017 पशुपालन अनुभाग-1 दिनांक 17 जुलाई, 2018	20
Reference-4	दिनांक 08 फरवरी, 2019 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त (बिन्दु संख्या-5)	20
Reference-5	दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त (बिन्दु संख्या-8)	20–21
Reference-6	भारत सरकार द्वारा प्राख्यापित, पशु क्रूरता निवारण, श्वानपशु प्रजनन एवं विपणन नियम, 2017 (Prevention of Cruelty to Animals, Dog Breeding and Marketing Rules, 2017)	21
Reference-7	भारत सरकार द्वारा प्राख्यापित, पशु क्रूरता निवारण, पालतूपशु दुकान नियम, 2018 (Prevention of Cruelty to Animals, Pet Shop Rules, 2018)	21–23
Reference-8	भारत सरकार द्वारा प्राख्यापित, पशु क्रूरता निवारण, केस विषयक पशुओं की देखरेख एवं भरण-पोषण नियम, 2017 (Prevention of Cruelty to Animals, Care & Maintenance of Case Property Animals Rules, 2017	23–24
Reference-9	भारत सरकार द्वारा प्राख्यापित, पशु जन्म नियंत्रण (श्वानपशु) नियम, 2001 (Animals Birth Control (Dog) Rules, 2001	24
Reference-10	पीडाविहीन रीति से दयामृत्यु दिये जाने के क्रम में भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड की मार्गदर्शिका (Euthanasia Guidelines from AWBI)	24
Reference-11A	पशु जन्म नियंत्रण (श्वानपशु) नियम, 2001 (Animals Birth Control (Dog) Rules, 2001 के अनुरुप श्वानपशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम संचालित किये जाने के क्रम में मा० उच्चतम न्यायालय तथा मा० उच्च न्यायालयों निर्गत आदेश -Order dated 18th Nov., 2015 from Hon'ble Supreme Court of India on SLP No. 691 of 2009 (AWBI vs People for Elimination of Stray Troubles & others) -Order dated 04th March, 2014 from Hon'ble Nainital High Court on PIL WP No 41 of 2013 (Gauri Maulekhi vs State of Uttarakhand & others)	24
Reference-11B	मा० उच्च न्यायालयों द्वारा पशु जन्म नियंत्रण (श्वानपशु) नियम, 2001 (Animals Birth Control (Dog) Rules, 2001 के आलोक में, पशु कल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधियों / पशुप्रेमियों द्वारा निराश्रित श्वानपशुओं के पशुपोषण हेतु स्थान एवं समय का निर्धारण किये जाने तथा रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएसन से विवाद के सामाधान के क्रम में निर्गत विभिन्न आदेश -Order dated 04-02-2010 from Hon'ble Delhi High Court on Crl. M.C. 1862/2009, W.P.(Crl.) Nos. 467/2009, 1101/2009, 1102/2009, 1103/2009, 1104/2009, 1105/2009, 1106/2009 and 1107/2009	24

	- Order dated 10-05-2011 from Hon'ble Punjab-Haryana High Court on CRM No. M 13967 of 2010 (Ms Sonia Rogers vs State of Haryana And Another) -Order dated 12-07-2017 from Hon'ble Delhi High Court on LPA 301/2016 (Om Prakash Saini vs State Government of NCT Delhi & others)	24
Reference-12	निराश्रित श्वानपशुओं के पशुपोषण हेतु स्थान एवं समय का निर्धारण किये जाने तथा रेजीडेन्ट वैलफेयर एसोसिएसन से विवाद के सामाधान हेतु मा० उच्च न्यायालय के। आदेशों के अनुपालन में भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड की मार्गदर्शिका (AWBI। Guidelines for Pet Owners, Colony Care Takers / Dog Feeders & Resident Welfare Associations/ Apartment Owner's Associations	24

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरूप पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु आदर्श नियमावली के सृजन का प्रस्ताव:

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरूप पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 84/17 (गिरीश चन्द्र खोलिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार) पर दिनांक 14 जून, 2018 को निर्गत अन्तरिम आदेश (Reference-1) के अनुपालन के क्रम में दिनांक 02 जुलाई 2018 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत (Reference-2) बिन्दु संख्या-4 तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या 560/XV-1/18/4(20)/2017 पशुपालन अनुभाग-1 दिनांक 17 जुलाई, 2018 (Reference-3) के अनुपालन के क्रम में, स्थानीय निकाय अधिनियमों के तहत पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु नियमावली (Rules for Licensing & Regulation of Pedigreed Pet Dogs) का सृजन अपेक्षित है। इस क्रम में श्वानपशुओं से सम्बन्धित विभिन्न कानूनी प्राविधानों मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मा० उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत विभिन्न मार्गदर्शी निर्णयों का सन्दर्भ (reference) लेते हुए समग्रतापूर्ण अभिसरण (holistic convergence) का प्रयास करते हुए आदर्श नियमावली का आलेख प्रस्तावित है। इस क्रम में दिनांक 08 फरवरी, 2018 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त (Reference-4) बिन्दु संख्या-5 एवं दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त (Reference-5) बिन्दु संख्या-8 के आलोक निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित है :-

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुरुप पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु आदर्श नियमावली के सृजन का प्रस्ताव :

मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा जनहित याचिका संख्या 84/17 (गिरीश चन्द्र खोलिया बनाम उत्तराखण्ड सरकार) पर दिनांक 14 जून, 2018 को निर्गत अन्तरिम आदेश (Reference-1) के अनुपालन के क्रम में दिनांक 02 जुलाई 2018 को मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक के कार्यवृत (Reference-2) बिन्दु संख्या-4 तथा मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन स्तर से निर्गत शासनादेश संख्या 560/XV- 1/18/4(20)/2017 पशुपालन अनुभाग-1 दिनांक 17 जुलाई, 2018 (Reference-3) के अनुपालन के क्रम में, स्थानीय निकाय अधिनियमों के तहत पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु नियमावली (Rules for Licensing & Regulation of Pedigreed Pet Dogs) का सृजन अपेक्षित है। इस क्रम में श्वानपशुओं से सम्बन्धित विभिन्न कानूनी प्राविधानों, मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली एवं मा० उच्च न्यायालयों द्वारा निर्गत विभिन्न मार्गदर्शी निर्णयों का सन्दर्भ (reference) लेते हुए समग्रतापूर्ण अभिसरण (holistic convergence) का प्रयास करते हुए आदर्श नियमावली का आलेख प्रस्तावित है। इस क्रम में दिनांक 08 फरवरी 2019 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त (Reference-4) बिन्दु संख्या-5 एवं दिनांक 04 सितम्बर, 2020 को सचिव शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत प्रान्तीय श्वानपशु बन्ध्यकरण एवं अनुश्रवण समिति की बैठक के कार्यवृत्त (Reference-5) बिन्दु संख्या-8 के आलोक में निम्नानुसार प्रस्ताव प्रेषित है :-

उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तरप्रदेश अधिनियम, संख्या-2 1959) जोकि उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के तहत प्रभावी है, की धारा-540 (1) के तहत राज्य की नगर निगमों के पथ-प्रदर्शन (guidance) एवं क्रियान्वयन के निमित्त, मा० उच्च न्यायालय, नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में निम्नानुसार राज्य के नगर निगमों के क्षेत्राधीन पालतू श्वानपशुओं के अनिवार्य अनुज्ञाकरण, नियंत्रण एवं विनियमन हेतु आदर्श नियमावली (Model Rules) का प्राख्यापन प्रस्तावित है :-

1. सक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ -

(1.1) यह नियम, "पालतू श्वानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 2019 कहा जायेगा।

(1.2) यह नियम राजकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा।

(1.3) यह नियम राज्य के नगर निगम काशीपुर के क्षेत्रों के भीतर प्रभावी होगा।

(1.4) इस नियम के प्राख्यापन से पूर्व किसी विशेष नगर निगम द्वारा पूर्व में सृजित प्रचलित इस नियम के प्राख्यापन के उपरान्त निष्प्रभावी हो जायेगा।

2. परिभाषा

(2.1) अधिनियम : अधिनियम से तात्पर्य उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तरप्रदेश अधिनियम, संख्या-2 1959) से है, जोकि उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के तहत प्रभावी है ।

(2.2) नगर निगम : नगर निगम से तात्पर्य उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत स्थापित नगर निगम से है।

(2.3) पालतू श्वानपशु : पालतू श्वानपशु से तात्पर्य नस्लीय श्वानपशुओं (Pedigreed Pet Dogs) से है जिन्हें उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत की नगर निगमों की सीमा के भीतर निजी सुरक्षा हेतु अथवा श्वानपशु के प्रति रुचि / पशुप्रेम के उद्देश्य से पाला जाता है।

(2.4) निरीक्षण अधिकारी : निरीक्षण अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत, नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत पशुचिकित्सा अधिकारी से है।

(2.5) क्षेत्रीय पशुचिकित्सा : अधिकारी क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी से तात्पर्य नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत राजकीय पशुचिकित्सालय पर नियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से है।

(2.6) अनुज्ञापित व्यक्ति : अनुज्ञापित व्यक्ति से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत पालतू श्वानपशु का स्वामी हो तथा निजी सुरक्षा अथवा श्वानपशु के प्रति रुचि / पशुप्रेम के कारण श्वानपशु पाले जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो. इस क्रम में पालतूपशु दुकान (Pet Shop) तथा श्वानपशु प्रजनक (Dog Breeder) भी इन शर्तों के तहत सम्मिलित है कि. पालतू पशु दुकानस्वामी (Pet Shop Owner) तथा श्वानपशु प्रजनक (Dog Breeder) द्वारा केन्द्रीय अधिनियम- पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 के अन्तर्गत प्राख्यापित के नियमों के तहत उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत अनिवार्य रूप से पंजीकरण करा लिया गया हो।

(2.7) 'श्वानपशु प्रजनक : श्वानपशु प्रजनक से तात्पर्य ऐसे श्वानपशुस्वामी से है जिसके द्वारा केन्द्रीय अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित पशु क्रूरता निवारण, श्वानपशु प्रजनन एवं विपणन नियम, 2017 (Prevention of Cruelty to Animals, Dog Breeding and Marketing Rules, 2017) के तहत उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत अनिवार्य पंजीकरण करा लिया गया हो **(Reference-6) I**

(2.8) पालतू पशु दुकान : पालतूपशु दुकान से तात्पर्य ऐसे पालतूपशु दुकानस्वामी से है जिसके द्वारा केन्द्रीय अधिनियम अन्तर्गत प्राख्यापित "पशु क्रूरता निवारण, पालतूपशु दुकान नियम, 2018 (Prevention of Cruelty to Animals, Pet Shop Rules, 2018)" के तहत उत्तराखण्ड राज्य पशु कल्याण बोर्ड अन्तर्गत अनिवार्य पंजीकरण करा लिया गया हो **(Reference-7)।**

(2.9) अनुज्ञा : अनुज्ञा का तात्पर्य इस नियम के अधीन प्रदत्त अनुज्ञा से है।

(2:10) वर्ष : वर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष से है।

(2.11) ऐसे शब्दों/पदों जो कि इस नियम में परिभाषित नहीं है किन्तु नियम / अधिनियम में प्रयुक्त हैं, उनका वही अर्थ होगा जोकि अधिनियम में दिया गया हो।

3. प्रतिषेध – कोई भी व्यक्ति उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत नगर निगम काशीपुर क्षेत्र में किसी भी भवन / स्थान पर अपने निजी सुरक्षा हेतु अथवा अपनी श्वानपशु के प्रति रुचि/पशुप्रेम के वजह से नहीं पालने देगा जबतक की उस व्यक्ति के द्वारा नगर निगम से पालतू श्वानपशु पालन हेतु अनुज्ञा न प्राप्त कर ली गई हो।

4. अनुशा एवं अनुज्ञा की अवधि – सम्बन्धित नगर निगम अन्तर्गत प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा अनुज्ञा की शर्तों के पूर्ण होने की दशा में वित्तीय वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञा दी जा सकेगी किन्तु कभी भी अनुज्ञा की शर्तों का उल्लघन किये जाने पर निर्गत अनुज्ञा निलम्बित की जा सकेगी अथवा निरस्त की जा सकेगी।

5. अनुज्ञा की शर्तें -

(5.1) प्रत्येक श्वानपशुस्वामी द्वारा श्वानपशु प्राप्त करने / क्रय करने के 15 दिनों के भीतर अपने पालतू श्वानपशु को नगर निगम काशीपुर अन्तर्गत अनुज्ञाकरण हेतु 'प्ररूप-1' के अनुरुप आवेदन करना आवश्यक होगा।

(5.2) निर्गत अनुज्ञा वित्तीय वर्ष के अन्त तक विधिमान्य होगी। स्वानपशुस्वामी द्वारा अपने श्वानपशु का प्रत्येक वर्ष यथासमय अनिवार्य कृमिरोधीदवापान (De-worming) के उपरान्त अनिवार्य रैबीजरोधी टीकाकरण (Anti Rabies Vaccination) के उपरान्त, अप्रैल माह में अपने पालतू श्वानपशु के अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन करना आवश्यक होगा।

(5.3) श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने पालतू श्वानपशु को सार्वजनिक स्थानों पर सड़कों, गलियों एवं पार्क अथवा किसी भी स्थान के आस-पास खुला नहीं छोड़ा जायेगा।

(5.4) श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने श्वानपशु का उचित भरण-पोषण, देखमाल, आवासीय प्रबन्धन, रोगरोधी टीकाकरण एवं कृमिरोधी दवापान, कृमिरोधीदवास्नान एवं बीमारी की दशा में उचित निदान एवं उपचार कराया जायेगा। श्वानगृह / श्वानपशु को रखेजाने का स्थान को स्वच्छ रखा जायेगा तथा उस स्थान की प्रतिदिन भली प्रकार से घुलाई और कीटनाशको का छिड़काव किया जायेगा।

(5.5) श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने पालतू श्वानपशु के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु सम्बन्धित नगर निगम के पक्ष में, नगर निकाय द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करते हुए, अनुज्ञा / पुनर्नवीनीकरण हेतु आवेदन किया जायेगा।

(5.6) श्वानपशुस्वामी द्वारा अनुझा / अनुज्ञा के पुनर्नवीनीकरण हेतु आवेदन के समय, राजकीय पशुचिकित्सालय के क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा सत्यापित अभिलेखों सहित आवेदन हेतु आवेदन प्रकरण प्रस्तुत करना होगा। सत्यापित अभिलेखों में सम्बन्धित पालतूश्वानपशु की त्रिआयामी फोटोग्राफ्स (Three Side Photographs). व्यक्तिगत पहचान, नगर निगम द्वारा पूर्व में आबंटित टोकन नम्बर, रंग, आयु नस्ल, माइक्रोचिप संख्या (यथास्थिति उपलब्धतानुरुप), कृमिरोधी दवापान अभिलेख, रोगरोधी टीकाकरण अभिलेख, चिकित्सा अभिलेख तथा अन्य निजी देखभाल (Grooming Details) के अभिलेख सम्मिलित होंगे। श्वानपशुस्वामी के श्वानपशु प्रजनक (Dog Breeder) अथवा पालतूपशु दुकानस्वामी (Petshop Owner) होने की दशा में सम्बन्धित पशुस्वामी द्वारा वे सभी अभिलेख संरक्षित रखे जायेंगे जो कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत प्राख्यापित "पशु क्रूरता निवारण, श्वानपशु प्रजनन एवं विपणन नियम, 2017 (Prevention of Cruelty to Animals, Dog Breeding and Marketing Rules, 2017)" अथवा "पशु क्रूरता निवारण, पालतूपशु दुकान नियम, 2018 (Prevention of Cruelty to Animals, Pet Shop Rules, 2018) में प्राविधानित है। निरीक्षण अधिकारी द्वारा अभिलेखों के परीक्षण उपरान्त, गुण-दोष के अनुसार प्रत्येक प्रकरण में प्ररूप-2 के अनुरूप अनुज्ञाकरण प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने अथवा न किये जाने हेतु संस्तुति की जायेगी जिसे नगर आयुक्त स्तर से स्वीकृत किया जायेगा। ।

(5.7) नगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्रदत्त पालतूश्वानपशुओं का प्ररूप-3' के अनुरुप अभिलेखीकरण किया जायेगा।

(5.8) नगर निगम द्वारा निर्गत अनुज्ञा प्रमाणपत्र अहस्तान्तरणीय होगा। यदि किन्ही परिस्थितियों में स्वानपशुओं की मृत्यु हो जाती है अथवा श्वानपशु को किसी दूसरे घर में स्थानान्तरित कर दिया जाता है. इस दशा में श्वानपशुस्वामी द्वारा 15 दिनों के भीतर

इसकी सूचना नगर आयुक्त, नगर निगम को देना आवश्यक होगा। नवीन पशुस्वामीस्वामी द्वारा, अनुज्ञाकरण हेतु पुनः आवेदन करना होगा।

(5.9) केवल श्वानपशु प्रजनक द्वारा ही श्वानपशु प्रजनन कराया जाना अपेक्षित है। किसी भी दशा में श्वानपशुस्वामी द्वारा अपने श्वानपशुओं को घर से निस्कासित (abandon) कर शहरी क्षेत्र में निराश्रित श्वानपशुओं की संख्या में अवांछित बृद्धि नहीं की जायेगी।

(5.10) श्वानपशुस्वामी द्वारा अनिवार्य रूप से अपने श्वानपशु का नियमित रैबीजरोधी टीकाकरण (Regular Anti Rabies Vavccination) कराया जायेगा।

(5.11) श्वानपशुस्वामी द्वारा आक्रामक व्यवहार वाले श्वानपशुओं (aggressive dogs) को सार्वजनिक स्थान पर घुमाये जाने पर, श्वानपशु की गर्दन के कॉलर को सुरक्षित प्रकार से मजबूत पट्टे के बन्धन (Sturdy Tether fitted on Neck Collar) एवं मुखबन्ध (Muzzel) में रखा जायेगा।

(5.12) श्वानपशुस्वामी द्वारा श्वानपशु को खुले में घुमाते समय सड़क पर शौच (defication on road) नहीं कराया जायेगा।

8. निरीक्षण का अधिकार- नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण अधिकारी द्वारा समय-समय पर पालतू श्वानपशुओं का कभी भी निरीक्षण किया जा सकता है।

7. अनुज्ञा शुल्क, विलम्ब शुल्क, अनुज्ञा की अवधि एवं शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण -श्वानपशुस्वामी द्वारा प्रत्येक श्वानपशु की अनुज्ञा हेतु सम्बन्धित नगर निगम के पक्ष में ₹ 200/- का शुल्क जमा किया जायेगा। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि अथवा वित्तीय वर्ष के 31 मार्च (जो भी पहले हो) तक प्रभावी होगा। श्वानपशुस्वामी द्वारा श्वानपशु की अनुज्ञा हेतु यथासमय आवेदन न किये जाने की दशा में ₹50/- प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क जमा किया जायेगा। सम्बन्धित नगर निगम के बोर्ड द्वारा समय-समय पर अनुज्ञा शुल्क तथा विलम्ब शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया जायेगा।

8. अनुज्ञा प्रदत्त श्वानपशु हेतु पहचान चिन्ह टोकन -अनुज्ञा निर्गत किये जाने हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा श्वानपशुस्वामी को प्रत्येक अनुज्ञा के साथ पहचान चिन्ह टोकन' निर्गत किया जायेगा जो कि पशुस्वामी द्वारा भली प्रकार से सुरक्षित रखा जायेगा तथा यथासम्भव द्वारा इस टोकन को पालतू श्वानपशु के गले में पट्टे में बांध कर रखा जायेगा।

9. अनुज्ञाहीन तथा परित्यक्त श्वानपशुओं का जन्तीकरण, बन्ध्यकरण, रैबीजरोधी टीकाकरण एवं निस्तारण- श्वानपशुस्वामी द्वारा श्वानपशु के प्रति लापरवाही बरते जाने अथवा श्वानपशु को सार्वजनिक स्थानों पर आवारा छोड़े जाने की दशा में, कभी भी नगर निगम द्वारा आवारा श्वानपशुओं को जब्त किया जा सकता है अथवा इसे ए०बी०सी० कार्यक्रम के तहत बन्ध्यकरण शल्यचिकित्सा उपरान्त इयरनोंचिंग एवं रैबीजरोधी टीकाकरण किया जा सकता है तथा केन्द्रीय अधिनियम के तहत प्राख्यापित "पशु क्रूरता निवारण, केस विषयक पशुओं की देखरेख एवं भरण-पोषण नियम, 2017 (Prevention of Cruelty to Animals, Care & Maintenance of Case Property Animals Rules, 2017)" के प्राविधानों के अनुरूप निस्तारण किया जा सकता है **(Reference-8)**

10. अनुज्ञा का निरस्तीकरण एवं शास्ति श्वान-पशुस्वामी द्वारा अनुज्ञा की शर्तों का उल्लघन किये जाने की दशा में अनुज्ञा का निलम्बन अथवा स्थायी निरस्तीकरण किया जा सकता है। अनुज्ञा के निलम्बन की स्थिति में, नगर आयुक्त द्वारा अनुज्ञाधारक को स्वयं का पक्ष रखे जाने हेतु युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के उपरान्त नियमों का उल्लंघन का दोषी पाये जाने पर शमन द्वारा ₹2,000/- तक अर्थदण्ड अथवा अनुज्ञा का स्थायी निरस्तीकरण एवं अग्रेतर वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती हैं। श्वानपशुस्वामी द्वारा श्वानपशु को लापरवाहीवश सार्वजनिक स्थानों पर आवारा छोड़े जाने की दशा में नगर निगम द्वारा जब्त कर लिये गये श्वानपशु को पशुस्वामी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने हेतु र 100/- प्रति श्वानपशु प्रतिदिन की दर से भरण-पोषण एवं प्रबन्धन व्यय की अतिरिक्त वसूली की जायेगी। इस क्रम प्राविधानों का उल्लंघन किये जाने पर, 'प्ररूप-4' के अनुरूप आरोपित को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अर्थदण्ड का शमन कराये जाने सूचना दी जायेगी तथा तथा 'प्ररूप-5' के अनुरूप अर्थदण्ड का शमन किया जा जायेगा।

11. अर्थदण्ड तथा दैनिक भरण-पोषण / प्रबन्धन की दरों का पुनर्निर्धारण - सम्बन्धित नगर निगम के बोर्ड द्वारा समय-समय पर, नगर निगम द्वारा जब्त किये गये श्वानपशु हेतु श्वानपशुस्वामी से वसूली हेतु निर्धारित अर्थदण्ड तथा दैनिक भरण-पोषण / प्रबन्धन की दरों का पुनर्निर्धारण किया जायेगा।

12.संक्रामक एवं सांस्पर्शिक रोग नियंत्रण एवं रोकथाम -श्वानपशु के संक्रामक अथवा सांस्पर्शिक रोग से ग्रस्त होने की आशंका की दशा में पशुस्वामी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम "पशुओं हेतु संक्रामक एवं सांस्पर्शिक रोग अधिनियम, 2009 (The Prevention & Control of Infectious & Contagious Diseases of Animals Act, 2009)" के प्राविधानों के अनुरूप रोग नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सहयोग किया जायेगा। श्वानपशु के रैबीज रोग से ग्रस्त होने की आशंका की दशा में केन्द्रीय अधिनियम के तहत प्राख्यापित "पशु जन्म नियंत्रण (श्वानपशु) नियम, 2001 (Animals Birth Control (Dog) Rules, 2001) **(Reference-9)"** के प्राविधानों के अनुरुप निस्तारण किया जायेगा है। क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी के परामर्शानुरूप, श्वानपशु के मृत्युकारी रूप से रोगग्रस्त अथवा घायल होने की दशा में, श्वानपशु को पीडाविहीन रीति से दयामृत्यु दिये जाने के क्रम में भारतीय जीव-जन्तु कल्याण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुरूप (Euthanasia Guidelines from AWBI) **(Reference-10)** दी जा सकेगी।

13. नवीन प्राविधानों का सृजन- सम्बन्धित नगर निगम द्वारा इस नियम के प्राविधानों के अतिरिक्त नवीन उपविधियों का सृजन आवश्यक समझे जाने की स्थिति में उत्तरप्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तरप्रदेश अधिनियम, संख्या-2 1959) जोकि उत्तराखण्ड राज्यान्तर्गत अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के तहत प्रभावी है, की धारा-541 (25 एवं 31) के तहत नवीन उपविधियों का सृजन किया जा सकेगा।

14. पशुप्रेमियों / पशुकल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधियों द्वारा सामुदायिक श्वानपशुपोषण किये जाने के क्रम में स्थान एवं समय का निर्धारण -पशु जन्म नियंत्रण (श्वानपशु) नियम, 2001 (Animals Birth Control (Dog) Rules, 2001 **(Reference-9)** के अनुरुप, निराश्रित श्वानपशुओं की बन्ध्यकरण शल्यचिकित्सा तथा प्रतिवर्ष रेबीजरोधी टीकाकरण हेतु प्रतिवर्ष श्वानपशुओं को सुगमता से पकड़ने हेतु पशुकल्याण संस्थाओं के प्रतिनिधियों / angenfte vandfinal (Representatives of Animal Welfare Organizations/ Community Dog Feeders) से सक्रिय योगदान / सहयोग सुनिश्चित किये जाने हेतु नगर निकाय द्वारा प्रत्येक क्षेत्रविशेष हेतु निराश्रित श्वानपशुओं को भोजन दिये जाने के क्रम में स्थान विशेष का चिन्हांकन किया जायेगा तथा समयावधि का निर्धारण किया जायेगा। निर्धारित स्थान एवं समयावधि में ही, सामुदायिक श्वानपशुओं को भोजन दिये जाने की अनुमति (Permission for Community Dog Feeding) होगी (Reference-11)। इस क्रम में भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2015 को निर्गत मार्गदर्शिका (AWBI Guidelines for Pet Owners, Colony Care Takers/Dog Feeders & Resident Welfare Associations/ Apartment Owner's Associations) का अनुपालन किया जाना अपेक्षित होगा **(Reference-12)**।

15. श्वानपशुओं द्वारा काटे जाने के प्रकरणों का समाधान- पशुकल्याण संस्थाओं के माध्यम से विधिमान्य रीति के अनुरूप श्वानपशुओं द्वारा काटे जाने के प्रकरणों के समाधान हेतु (Management of Dog Bite Cases through Animal Welfare Organization), नगर निकाय बोर्ड द्वारा दरों का निर्धारण किया जायेगा **(Reference-1)**।

16. निराश्रित एवं केस प्रापर्टी श्वानपशुओं हेतु निःशुल्क अनुज्ञाकरण- मान्यताप्रदत्त पशुकल्याण संस्थाओं / जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति (District SPCA) के माध्यम से, निराश्रित एवं केस प्रापर्टी श्वानपशुओं को शरण दिये जाने अथवा गोद दिये जाने की स्थिति में, श्वानपशुओं का निःशुल्क अनुज्ञाकरण किया जायेगा **(Reference-1)**।

17. निराश्रित एवं केस प्रापर्टी श्वानपशुओं को गोद दिये जाने के क्रम में प्रक्रिया- निराश्रित एवं केस प्रापर्टी - श्वानपशुओं को शरण दिये जाने अथवा गोद लिये जाने की स्थिति में, "पशु क्रूरता निवारण, केस विषयक पशुओं की देख-रेख एवं भरण-पोषण नियम 2017 (Prevention of Cruelty to Animals, Care & Maintenance of Case Property Animals Rules, 2017) के नियम-9 में वर्णित प्रक्रिया अपनायी जायेगी **(Reference-8)**।

18. पालतू श्वानपशुओं हेतु श्वानपशु बन्ध्यकरणशल्यचिकित्सा एवं रैबीजरोधी टीकाकरण हेतु दरों का निर्धारण- श्वानपशुस्वामी द्वारा अनावश्यक रूप से श्वानपशुओं का प्रजनन नहीं कराया जायेगा अपितु यथासम्भव छः माह की आयु के उपरान्त अपने श्वानपशु का बन्ध्यकरण शल्यचिकित्सा करा ली जायेगी। इस सम्बन्ध में नगर निकाय अन्तर्गत बृहद स्तर पर श्वानपशु बन्ध्यकरणशल्यचिकित्सा- रैबीजरोधी टीकाकरण कार्यक्रम (Animal Birth Control-Anti Rabies Vaccination Program) संचालित किये जाने पर पालतू श्वानपशुस्वामियों को श्वानपशु बन्ध्यकरणशल्यचिकित्सा एवं रैबीजरोधी टीकाकरण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु दरों का निर्धारण के क्रम में नगर निगम के बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जायेगा **(Reference-5)**।

19. गोद दिये गये स्थानपशुओं हेतु निशुल्क स्थान बनाकरणशल्यचिकित्सा एवं बीजरोधी टीकाकरण- मान्यताप्रदत्त पशुकल्याण संस्थाओं / जिला अधिकारी की अध्यक्षता में गठित जनपदीय पशु क्रूरता निवारण समिति (District SPCA) के माध्यम से निराश्रित एवं केस प्रापर्टी श्वानपशुओं को शरण दिये जाने अथवा गोद लिये जाने की स्थिति में, श्वानपशुओं हेतु निःशुल्क बन्ध्यकरणशल्यचिकित्सा - रेबीजरोधी टीकाकरण किया जायेगा **(Reference-1)** |

(प्ररूप 1 नियम 5.1)

पालतू श्वानपशु के अनुज्ञाकरण/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्ररुप

सेवामें,

नगर आयुक्त,

नगर निगम--------------

महोदय,

निवेदन है कि. प्रार्थी नाम----------------------------- पुत्र श्री -- निवासी- ----------------------------------डाकखाना------------------------पुलिस थाना---------------------

जनपद --------------------------के स्वामित्वाधीन निम्न पालतू श्वानपशु के अनुज्ञाकरण का प्रस्ताव है :-

पालतू श्वानपशु का नाम	नस्ल	लिंग	रंग	आयु	माइक्रोचिप संख्या (यथास्थिति उपलब्धतानुरूप)	अन्य विवरण

पालतू श्वानपशु हेतु अनुज्ञापत्र निर्गत किये जाने के क्रम में नगर निगम द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क रु०------------------ बैंक ड्राफ्ट संख्या -----------------दिनांक संलग्न कर प्रेषित है।

राजकीय पशुचिकित्सालय पर नियुक्त क्षेत्रीय पशुचिकित्सा अधिकारी द्वारा उक्त पशु से सम्बन्धित निम्न अभिलेख सत्यापित करवाकर आवेदन प्रकरण प्रेषित है :-

1. सम्बन्धित पालतूश्वानपशु की त्रिआयामी फोटोग्राफ्स (Three Side Photographs).

2. व्यक्तिगत पहचान, नगर निगम द्वारा पूर्व में आबंटित टोकन नम्बर / माइक्रोचिप संख्या, रंग, आयु, नस्ल से सम्बन्धित अभिलेख

3. कृमिरोधी दवापान अभिलेख,

4. रोगरोधी टीकाकरण अभिलेख,

5. चिकित्सा अभिलेख तथा

6. अन्य निजी देखभाल (Other Grooming Details)

"पालतू श्वानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 2019 के नियम 5.1 के अनुरूप उक्त पालतूश्वानपशु के अनुज्ञाकरण हेतु आवेदन प्रकरण प्रस्तुत है।

आवेदक का नाम:

आवेदक के हस्ताक्षर

(प्ररूप 2 नियम 5.6)

पालतू श्वानपशु के अनुज्ञाकरण /नवीनीकरण हेतु प्रमाण पत्र का प्ररुप

अनुज्ञा संख्या :----------------

प्रार्थी नाम--------------------------------पुत्र श्री---------------------------------------निवासी------------------------
--------------डाकखाना---------------------------पुलिस थाना-----------------------जनपद---------------

के स्वामित्वाधीन निम्न पालतू श्वानपशु का "पालतू श्वानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 2019 नियम 53 के अनुरूप नगर निगम----------------- किया गया है :-

पालतू श्वानपशु का नाम	नस्ल	लिंग	रंग	आयु	नगर निगम द्वारा आबंटित टोकन नम्बर	माइक्रोचिप संख्या (यथास्थिति उपलब्धतानुरूप)

इस प्रकरण में समस्त अभिलेखों का परीक्षण कर लिया गया है। इसक्रम में "पालतू श्वानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 2019 के नियम 5.6 के अनुरूप अनुज्ञाकरण प्रमाणपत्र निर्गत कियेजाने / न कियेजाने की संस्तुती की जाती है।

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर :

निरीक्षण अधिकारी का नाम

दिनांक एवं कार्यालय की मुहर

नगर आयुक्त के हस्ताक्षर

नगर आयुक्त का नाम

दिनांक एवं कार्यालय की मुहर

(प्ररूप "3" नियम 5.7)

पालतू श्वानपशु के अनुज्ञाकरण अभिलेख पंजिका का प्ररूप

स्थानीय निकाय क्षेत्र का नाम

जनपद का नाम

अनुज्ञा प्रदत्त पालतू श्वानपशुओं का विवरण :-

अनुज्ञा संख्या	श्वानपशु स्वामी का नाम	श्वानपशु स्वामी का पता	पालतू श्वानपशु का नाम	नस्ल	लिंग	रंग	आयु	नगर निगम द्वारा आमंटित टोकन नम्बर	माइक्रोचिप संख्या (यथास्थिति उपलब्धतानुरूप)

निरीक्षण अधिकारी के हस्ताक्षर

निरीक्षण अधिकारी का नाम

दिनांक एवं कार्यालय की मुहर

(प्रारूप "4" नियम 10)
शमन सूचना क्रमांक------------
आरोपित को सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अर्थदण्ड का शमन कराये जाने सूचना

आप -- -------पिता का नाम---
निवासी-- थाना--
जिला-- को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा आज दिनांक--------------
समय----------- स्थान---------------------------------- पर, पालतू श्वानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 2019 के निम्न नियमों के उल्लंघन हेतु अपराध होना पाया गया है जो लागू न हो उसे काट दें) :-

(5.1) पालतू श्वानपशु (Pedigreed Pet Dog) के अनिवार्य अनुज्ञाकरण हेतु आवेदन नहीं किया गया। (

5.3) पालतू श्वानपशु को सार्वजनिक स्थानों (सड़कों, गलियों एवं पार्क अथवा किसी भी स्थान पर खुला छोड़ा गया।

(5.4) पालतू श्वानपशु का उचित भरण-पोषण, देखभाल, आवासीय प्रबन्धन, रोगरोधी टीकाकरण एवं कृमिरोधीदवापान, कृमिरोधीदवास्नान एवं बीमारी की दशा में उचित निदान एवं उपचार नहीं कराया गया है तथा श्वानगृह / श्वानपशु को रखेजाने का स्थान को स्वच्छ नहीं रखा गया।

(5.9)श्वानपशु का अवैध प्रजनन किया गया है तथा श्वानपशु को घर से निस्कासित (abandon) किया गया।

(5.10) श्वानपशु का नियमित रेबीजरोधी टीकाकरण (Regular Anti Rabies Vavccination) नहीं कराया गया।

(5.11) आक्रामक व्यवहार वाले श्वानपशु (Aggressive Dogs) को सार्वजनिक स्थान ले जाते समय श्वानपशु की

गर्दन के कॉलर को सुरक्षित प्रकार से मजबूत पट्टे के बन्धन (Sturdy Tether fitted on Neck Collar) एवं मुखबन्ध (muzzel) नहीं रखा गया।

(5.12) पालतू श्वानपशु को खुले में घुमाते समय सार्वजनिक स्थान पर शौच (defication in public) कराया गया।

14. सामुदायिक श्वानपशु पशुपोषण हेतु निर्धारित स्थान एवं समयावधि का उल्लंघन किया गया।

हस्ताक्षर साक्षीगण (1)-- (2)--
नाम साक्षीगण (1)-- (2)--
पता साक्षीगण (1)-- (2)--

इसलिए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप दिनांक------------------- तक नगर आयुक्त नगर निगम----------------- के समक्ष उपस्थित होकर कारित अपराध के विपरीत आरोपित अर्थदण्ड का शमन कराते हुए दण्ड राशि का भुगतान कर भुगतान रसीद प्राप्त करें।

ह० :
प्राधिकृत अधिकारी,
नाम --------------------------------
मुहर--------------------------------

एक प्रति प्राप्त की

(ह० आरोपित पक्ष)
आरोपित पक्ष की अनुपलब्धता की दशा में पंचनामा / चालान को पंजीकृत डाक द्वारा प्रेषित करें।

(प्ररूप "5" नियम 10)

आरोपित पक्ष द्वारा अर्थदण्ड के शमन हेतु आवेदन का प्ररूप

सेवामें

नगर आयुक्त,

नगर निगम------------------

महोदय,

निवेदन है कि शमन सूचना क्रमांक---------------- दिनांक---------------- के अनुरूप अधोहस्ताक्षरी को पालतू श्वानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 2019 के तहत प्राविधानित नियमों के उल्लघन हेतु दोषी पाया गया है। भविष्य में पुनः इस दोष की कदापि पुनरावृत्ति नहीं होगी।

अतः अनुरोध है कि. कृपया पालतू श्वानपशुओं का अनुज्ञाकरण एवं नियंत्रण नियम, 2019" के नियम 10 के तहत इस प्रकरण में कारित अपराध के सापेक्ष, आरोपित अर्थदण्ड का शमन स्वीकार करते हुए दण्ड की राशि रु०2.000/- मात्र (रु० दो हजार मात्र) का भुगतान प्राप्त किये जाने तथा नगर निगम द्वारा जब्त कर लिये गये श्वानपशु को पशुस्वामी के पक्ष में अवमुक्त किये जाने हेतु ₹ 100/- प्रति श्वानपशु प्रतिदिन की दर से भरण-पोषण एवं प्रबन्धन व्यय की अतिरिक्त वसूली हेतु कुल------ दिनों के सापेक्ष रू०-----------/- मात्र (रु०--- मात्र) की मात्र) का भुगतान प्राप्त करते हुए कुल रु० --------------/- मात्र (रु०) भुगतान प्राप्ति रसीद निर्गत करने की कृपा करेंगे।

दोषी पशु स्वामी के हस्ताक्षर -----------------------------------

दोषी पशु स्वामी का नाम-----------------------------------

दोषी पशु स्वामी का पता-----------------------------------

कार्यालय नगर निगम, काशीपुर

27 जुलाई 2022 ई०

डेयरी उपविधि

पत्रांक 279/st/02-सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि नगर निगम, काशीपुर क्षेत्रान्तर्गत दुधारु पशुओं के व्यावसायिक डेरी परिसरों के कारण होने वाली विभिन्न नागरिक समस्याओं के समाधान तथा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु नगर निगम अधिनियम के अन्तर्गत उपविधि का प्राख्यापन व प्रवर्तन प्रस्तावित है:-

पशुओं को आवारा छोड़ दिये जाने के कारण सड़क परिवहन में अवरोध/दुर्घटनाओं/पशु केंद्रित व पशु जनित हिंसा की समस्या के निवारण, आवारा छोड़ दिये गये अनुत्पादक एवं उद्दण्ड/आक्रामक पशुओं में परस्पर संघर्ष अथवा किंचित प्रकरणों में आमजनों पर आक्रमण से बचाव एवं जनसुरक्षा, ऐसे गोवंशीय पशुओं की तस्करी/गोहत्या/चोटिल हो जाने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को सम्भावित चुनौतीए पशुओं द्वारा पॉलीथीन/कचरा खाये जाने के कारण मृत्यु होने के कारण शांति एवं कानून व्यवस्था को सम्भावित चुनौती, डेरी परिसरों के कारण गोबर/ गोमूत्र के अनुचित प्रबन्धन के कारण नालियों में अवरोध/गन्दगी/दुर्गन्ध/ मक्खियों तथा प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु ।

क. उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अन्तर्गत प्राविधान :-

1) अधिनियम की धारा–541 एवं धारा–453 अध्याय XVI- Regulation of Markets, Slaughter-houses, certain trades and acts etc) के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उपविधि का प्राख्यापन प्रस्तावित हैं।

2) धारा-438 एवं धारा-440 के अनुरुप नगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्रदत डेरी स्वामियों द्वारा ही व्यावसायिक डेरी परिसरों का संचालन किया जाना अपेक्षित है ।

3) धारा-451(3) के अनुरूप डेरी स्वामी द्वारा कानूनी प्राविधानों (अधिनियम / नियम / उपनियम) के अनुरूप निर्धारित प्रतिबन्ध / शर्तों का उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर, व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन हेतु निर्गत अनुज्ञा को निरस्त किये जाने का प्राविधान है।

4) धारा-467 के अनुरूप किसी भी व्यक्ति को कानूनी प्राविधानों (अधिनियम / नियम / उपनियम / उपविधि प्रतिबन्ध/ शर्त / नोटिस) के उल्लंघन हेतु सिद्धदोष पाये जाने पर दण्डित किये जाने का प्राविधान है।

ख. उत्तराखण्ड गोवंश संरक्षण अधिनियम, 2007 एवं संशोधन अधिनियम, 2015 के अन्तर्गत प्राविधान :-

अधिनियम की धारा 7 के अनुरूप राज्य के शहरी क्षेत्रों में प्रत्येक गोवंश का पंजीकरण अनिवार्य है तथा धारा-3 के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में गोवंशीय पशुओं को आवारा छोड़ने का प्रतिषेध है। इन दोनों ही प्राविधानों के उल्लंघन हेतु सिद्दोष पाये जाने पर अधिनियम की धारा-11(3) एवं धारा-11(क) के अनुरूप नगर आयुक्त द्वारा अर्थदण्ड आरोपित कर शमन (compounding) की कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

ग. केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 2021 के बिन्दू संख्या-07 में नगर निकाय द्वारा डेरी/गौशालाओं को पंजीकृत करने का प्रावधान है।

नगर निगम, काशीपुरक्षेत्रान्तर्गत दुधारू पशुओं के व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठानों के संचालन हेतु अनुज्ञा दिये जाने के क्रम में प्रस्तावित अंतिम उपविधि

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसरों के संचालन एवं अनुज्ञा के क्रम में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-540 एवं धारा-453 के अन्तर्गत निम्नानुसार उपविधि का प्राख्यापन प्रस्तावित है :-

1. नाम- यह उपविधि' 'नगर निगम, काशीपुर डेरी/डेरी पशु उपविधि, 2022" कहलाएगी।

2. परिभाषा

(क) "डेरी पशु" से तात्पर्य गाय, बैल, भैंस, भैंसा एवं उनकी संतति से है।

(ख) "दुग्धशाला" से तात्पर्य उस परिसर से है जहाँ दुधारू पशुओं को रखा जाता है।

(ग) "पशुचिकित्सा अधिकारी" से तात्पर्य नगर निगम में शासन द्वारा प्रतिनियुक्त पशुचिकित्सा अधिकारी से है अथवा पशुचिकित्सा विज्ञान में स्नातक अथवा इससे उच्च उपाधिधारक जो संघ अथवा राज्य पशुचिकित्सा परिषद में पंजीकृत हो से है।

(घ) "व्यावसायिक डेरी परिसर से तात्पर्य ऐसे परिसर से है, जहां 5 अथवा 5 से अधिक वयस्क डेरी पशु को रखा गया हो, से है।

(ङ) "गौशाला" से तात्पर्य पशु कल्याण हेतु राज्य पशुकल्याण बोर्ड में पंजीकृत संस्था से है, जो कि अलाभकारी गौवंश की देख-रेख के लिए स्थापित की गई हो।

(च) "अलाभकार पशु से तात्पर्य अनुत्पादक, वृद्ध, बीमार एवं घायल निराश्रित गोवंश तथा पुलिस प्रशासन / नगर निकाय द्वारा गोतस्करों अथवा पशु क्रूरता के प्रकरणों में जब्त किये गये केस प्रापर्टी गोवंश से है।

3. कोई भी व्यक्ति नगर पालिका की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के परिसर का उपयोग उक्त प्रयोजन (डेरी) के गयी अनुज्ञा के बिना नहीं करेगा व न ही किसी को भी उपयोग करने की अनुमति देगा।

4. अनुज्ञा हेतु प्रतिबन्ध

(क) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर संचालित किये जाने हेतु अथवा डेरी पशु पालने हेतु नगर निगम द्वारा अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत डेरी परिसर के संचालन हेतु अथवा डेरी पशु पालने हेतु अनुज्ञा प्राप्त किये जाने हेतु आवेदक को नगर निगम के पक्ष में नगर निगम बोर्ड द्वारा निर्धारित आवेदन शुल्क के साथ, प्रारूप-1 के अनुरुप निर्धारित आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदक द्वारा जमा किया गया आवेदन शुल्क अप्रतिदाय (non refundable) होगा।

(ग) व्यवसायिक डेरी परिसर के संचालन हेतु उत्तराखण्ड राज्य प्रदूषण नियन्त्रण परिषद से नियमानुसार सी०टी०ओ० (Consent - C to Operate) प्राप्त कर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

(घ) श्रीमान नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों/दल द्वारा व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, जिसके द्वारा प्रारूप-2 पर स्थलीय निरीक्षण उपरांत आख्या प्रस्तुत की जायेगी।

(ङ) श्रीमान नगर आयुक्त द्वारा अधिकृत अधिकारी निरीक्षण दल की प्रारूप-2 पर प्रस्तुत स्थलीय निरीक्षण आख्या के आलोक में सम्बन्धित व्यावसायिक डेरी परिसर को अनुज्ञा प्रदत्त किये जाने के क्रम में निर्णय लेगें। अनुज्ञा दिये जाने हेतु उपयुक्तता की स्थिति में, व्यावसायिक डेरी परिसर में वयस्क तथा अवयस्क पशुओं की अधिकतम अनुमन्य संख्या उल्लिखित करते हुए प्रारूप-3 के अनुरुप अनुज्ञापत्र निर्गत किया जायेगा।

(च) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर अनुज्ञा के प्रतिबन्धों के अनुपालन हेतु बाध्य होगा।

(छ) अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर द्वारा स्वयं के डेरी परिसर में मुख्य दीवार पर अनुज्ञापत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। निरीक्षण के समय प्रदर्शित न पाये जाने पर रू0 500/- का अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।

(ज) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत समय-समय पर व्यावसायिक डेरी परिसर का स्थलीय निरीक्षण किया जा सकेगा। अनुज्ञाधारी व्यावसायिक डेरी परिसर द्वारा अनुज्ञा के प्रतिबन्धों / शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर अनुज्ञापत्र का तात्कालिक निलम्बन अथवा पूर्णतः निरस्तीकरण किया जा सकेगा तथा अधिनियम की धारा-467 एवं धारा 451 (3) के अनुरूप अर्थदण्ड का आरोपण किया जायेगा जिसकी राशि 5000/- प्रति अपराध तक हो सकेगी।

(झ) नगर निगम द्वारा निर्गत अनुज्ञापत्र अनुज्ञा जारी किये जाने की तिथि से कुल 1 (एक) वर्ष हेतु मान्य होगा।

(ञ) अनुज्ञा दिये जाने हेतु अनुपयुक्तता की स्थिति में आवेदन के एक माह के भीतर सम्बन्धित प्रकरण के अस्वीकृति की सूचना निर्गत कर दी जायेगी।

(ट) नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत अनुज्ञा के बिना व्यावसायिक डेरी परिसर संचालित किये जाने की दशा में नगर निगम अधिनियम की धारा-467 एवं धारा-451(3) के अनुरुप दण्ड का आरोपण किया जायेगा, जो रू0 25,000/- तक हो सकेगा।

(ठ) डेरी पालन के लिए समय-समय पर सक्षम न्यायालयों के पारित आदेशों / बोर्ड/ प्राधिकरण / आयोग/ विभाग द्वारा प्राप्त सभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त करने की जिम्मेदारी अनुज्ञाधारी की होगी तथा इस आशय का शपथ पत्र भी आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। यदि अनुज्ञा जारी करने के बाद भी किसी भी सक्षम न्यायालय/बोर्ड/प्राधिकरण/आयोग / विभाग से अनुज्ञाधारी की डेरी उनके मानकों के अनुरूप नहीं पायी जाती व कोई कार्यवाही की जाती है तो निगम द्वारा जारी अनुज्ञा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

5. अनुज्ञापत्र का नवीनीकरण-

अनुज्ञति के नवीनीकरण के लिये अनुज्ञप्ति धारक की जिम्मेदारी होगी कि वह अपना आवेदन पिछली अनुज्ञप्ति के समाप्त होने के 15 दिन पहले करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञप्ति समाप्ति के उपरान्त संचालक पर नियम 4 (ट) के तहत कार्यवाही की जाएगी।

6. (क) इन उपविधि के तहत् अनुज्ञप्ति के लिये वार्षिक शुल्क प्रथम बार रू0 500/- प्रतिपशु व नवीनीकरण की स्थिति में रू० 300/- प्रतिपशु निर्धारित हैं।

(ख) उत्तराखण्ड पशु कल्याण बोर्ड में पंजीकृत अथवा मान्यता प्राप्त गोसदन / गौशाला के लिये कोई भी शुल्क नहीं लिया जायेगा।

7. उक्त, उपविधि के तहत् जारी की गयी हर अनुज्ञप्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी अर्थात्-

(क) प्रत्येक दुग्धशाला के फर्श को पूरी तरह से सूखा रखने की व्यवस्था पशु स्वामी द्वारा की जानी होगी तथा वायु के आयागमन एवं प्राकृतिक सूर्य के प्रकाश की उचित व्यवस्था हो।

(ख) पशुओं को रखने के स्थान पर पशुओं को विपरीत प्राकृतिक दशाओं में जैसे-तेज धूप, गर्मी, सर्दी व बरसात आदि से बचाव हेतु उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(ग) डेरी स्वामी को अपनी डेरी से उत्पन्न गोबर के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करनी होगी, जिसका प्रमाण भी अनुज्ञप्ति अधिकारी को उपलब्ध कराना होगा व गोबर को सीवर अथवा खुले नाले में नहीं डाला जायेगा, कम्पोस्ट बनाकर अथवा किसी कम्पोस्ट / गोबर उत्पाद बनाने वाले उपक्रम को दिया जाना अथवा बायोगैस संयंत्र के द्वारा निस्तारण ही मान्य होगा। गोबर के निस्तारण के सम्बन्ध में समय-समय पर नगर निगम द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आशय का शपथ-पत्र भी आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।

(घ) अनुज्ञप्तिधारी अनुज्ञप्ति अधिकारी को किसी भी संक्रामक रोग के बारे में तुरन्त सूचित करेगा एवं अपने संघ/ राज्य पशुचिकित्सा परिषद से पंजीकृत पशुचिकित्सक से समुचित उपचार हेतु बाध्य होगा अथवा संक्रमित पशुओं को बाकी पशुओं से अलग रखेगा।

8. दुग्धशाला के सभी पशुओं को माइक्रोचिप लगवाकर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा। सभी पशुओं की संतति का रिकार्ड समस्त डेरी स्वामियों द्वारा रखना अनिवार्य होगा।

9. किसी भी डेरी पशु स्वामी द्वारा अपने पशुओं को किसी भी परिस्थिति में सड़को पर अथवा अपने परिसर के बाहर खुला नहीं छोड़ा जायेगा। पशु के बाहर खुला छोड़े पाये जाने पर रू० 2000/- प्रतिपशु प्रतिदिन / उत्तराखण्ड गौवंश संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जायेगी।

10. लेखाजोखा (रिकॉर्ड) रखना व्यावसायिक डेरी प्रतिष्ठान को अनुज्ञापत्र प्राप्त करने के बाद, प्रतिष्ठान द्वारा निम्न प्रपत्रों युक्त पंजिका में अभिलेखों का लेखाजोखा रखा जायेगा:-

(क) निर्धारित प्रपत्र के अनुरूप रखे गये सभी पशुओं का विवरण।

(ख) पशुओं का पशुचिकित्सा स्वास्थ्य का विवरण।

(ग) पशुओं के टीकाकरण/टॉक्साइड का विवरण।

(घ) कृमिरोधी दवापान का विवरण।

(ङ) पशुओं का गर्भाधान / नस्ल का विवरण

(च) पशुओं के क्रय-विक्रय का विवरण।

11. कोई भी डैरी स्वामी अनुज्ञप्ति अधिकारी या किसी भी अधिकारी को किसी भी समय पर, डेरी का निरीक्षण करने के लिये आपत्ति नहीं कर सकता।

12. उपरोक्त उपविधियों के उल्लंघन पर रदद् की गयी अनुमति के निरस्तीकरण को पुर्नजीवित करने हेतु नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर के समक्ष अनुरोध प्रस्तुत किया जा सकता है जिस पर निर्णय नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अनुमति अधिकारी का निर्णय अन्तिम होगा। दो बार निरस्त की गयी किसी अनुमति को किसी भी दशा में पुर्नजीवित नहीं कराया जा सकेगा। उक्त प्रकार के अनुरोध किये जाने हेतु अधिकतम समय सीमा प्रथम निरस्तीकरण के एक माह तक होगी।

13. यदि कोई पशु बेचा जाता है या मरता है या निस्तारित किया जाता है तो इसकी जानकारी पशुपालक द्वारा नगर निगम के पशुचिकित्सा अधिकारी कार्यालय में 15 दिनों के भीतर जमा कराना अनिवार्य होगा। यदि पशुपालक उक्तवत् अवधि में जानकारी नहीं देता तो पशु के कारण लगने वाले अर्थदण्ड का वहन पंजीकृत पशुस्वामी को ही करना होगा।

नगर आयुक्त
नगर निगम, काशीपुर

प्ररुप '1'

डेरी परिसर के संचालन हेतु अनुज्ञा के क्रम में आवेदन हेतु प्रपत्र

पासपोर्ट साईज नवीनतम फोटो

सेवा में,

नगर आयुक्त,
नगर निगम, देहरादून।

महोदय,

निवेदन है कि, मैं (नाम) पुत्र श्री वार्ड सं0 जिला स्वयं के स्वामित्वाधीन अधोवर्णित डेरी परिसर ... हेतु आवेदन करता हूँ (मान्य पहचान पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न)।

क) डेरी परिसर में रखे गये पशुओं का विवरण :

प्रजाति / नस्ल	लिंग	रंग	पूंछ	आयु	ब्यांत	सींग	टैग नं०

ख) डेरी परिसर में रखे गये पशुओं हेतु स्थान :

(i) छत से ढका क्षेत्रफल (covered area) :

(ii) खुला क्षेत्रफल (open area) :

ग) आवासीय व्यवस्था :

(i) फर्श का प्रकार (floorong) :

(ii) प्राकृतिक प्रकाश एवं हवादार वायुप्रवाह (natural light and ventilation)

(iii) रोगी पशुओं को अलग से रखे जाने की व्यवस्था

घ) गोबर/ मूत्र के निस्तारण हेतु व्यवस्था :

ङ) उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त करने की तिथि (प्रमाण-पत्र संलग्न सहित) –

मैं "नगर निगम, काशीपुर डेरी / डेरी उपविधि 2022" के समस्त प्राविधानों के अनुपालन हेतु कृत संकल्प हूँ। मेरे द्वारा आवेदन शुल्क रू............ चालान सं०............ नगर निगम कोष में जमा करा दिया गया है। अतः अनुरोध है कि, अधोहस्ताक्षरी को डेरी परिसर के संचालन हेतु अनुज्ञापत्र निर्गत करने की कृपा करेंगे।

आवेदक के हस्ताक्षर :
आवेदन तिथि :
दूरभाष संख्या :

नगर निगम कार्यालय में प्राप्ति तिथि मुहर :

नगर निगम काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)
प्रेक्षागृह शुल्क उपविधि

पत्रांक - 1802/मु0कार्यालय/2022-23 दिनांक – 21-02-2023

नगर निगम, काशीपुर जिला ऊधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 172 की उपधारा (2) का (झ) के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित समस्त प्रेक्षागृहों पर कर लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर आपत्ति नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर को सम्बोधित करते हुए कार्यालय नगर निगम, काशीपुर में प्रस्तुत किये जा सकते हैं, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

प्रेक्षागृह शुल्क उपविधि

1- प्रेक्षागृह शुल्क हेतु विद्यमान उपविधियों को अवक्रमित करते हुए यह उपविधि निगम की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत स्थित प्रेक्षागृहों पर कर लगाये जाने हेतु नगर निगम, काशीपुर, प्रेक्षागृह कर उपविधि 2023 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

2- परिभाषा:-

(क)- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।
(ख)- नगर निगम सीमा से तात्पर्य-नगर निगम काशीपुर हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।
(ग)- नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग से तैनात नगर आयुक्त से है।
(घ)- मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर(महापौर) से है।
(ड़)- प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा।
(च)- बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है।
(छ)- शासन से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।
(ज)- प्रेक्षागृह कर से तात्पर्य नगर सीमा अन्तर्गत स्थापित निजी चलचित्र गृहों से है।
(झ)- प्रतिवर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

2- निगम सीमान्तर्गत स्थित प्रेक्षागृह परनिम्न प्रकार प्रेक्षागृह कर लिया जाना प्राविधानित होगा। यह राशि मासिक रूप से देय होगी।

(1)- 01 सीट से 50 सीट तक का प्रेक्षागृह कर रू0 200/- प्रति शो।
(2)- 51 सीट से 100 सीट तक का प्रेक्षागृह कर रू0 300/- प्रति शो।
(3)- 100 से अधिक सीट तक का प्रेक्षागृह कर रू0 500/- प्रति शो ।

3- नियम-2 के उपनियम (1,2,3) में अंकित शुल्क में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि प्राविधानित की जायेगी।

4- प्रत्येक माह की प्रेक्षागृह कर की धनराशि अगले माह के प्रथम सप्ताह यानि की माह की 7 वीं तारीख को राजपत्रित अवकाश होने की दशा में अगले कार्य दिवस में कर की धनराशि जमा करने हेतु ग्राह्य होगा। उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि तक कर की धनराशि जमा न करने की स्थिति में प्रतिदिन रू 0500/- अर्थदण्ड आरोपित किया जायेगा।

5- प्रेक्षागृह कर की धनराशि एवं अर्थदण्ड या दोनों जमा न करने की स्थिति में देय धनराशि भू-राजस्व की भांति वसूलने की व्यवस्था रहेगी।

6- अर्थदण्ड आरोपित/निर्धारित करने की शक्ति नगर आयुक्त या नगर आयुक्त द्वारा इस हेतु प्राधिकृत अधिकारी को होगी।

स्थानः काशीपुर

दिनांक: 09.10.2023

विवेक राय,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, काशीपुर।

ऊषा चौधरी,
महापौर,
नगर निगम काशीपुर।

नगर निगम काशीपुर (ऊधमसिंह नगर)

निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाली पार्किंग हेतु उपविधि

पत्रांक - 1802/मु0कार्यालय/2022-23 दिनांक – 21-02-2023

नगर निगम काशीपुर, जिला ऊधम सिंह नगर (उत्तराखण्ड) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित पार्किंग सम्बन्धी जुर्माना लगाये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः इस विज्ञप्ति के प्रकाशन के 30 दिन के अन्दर आपत्ति नगर आयुक्त, नगर निगम काशीपुर को सम्बोधित करते हुए कार्यालय नगर निगम काशीपुर में प्रस्तुत किये जा सकते है, नियत अवधि के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

नगर निगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाली पार्किंग हेतु उपविधि

01- नगर निगम सीमान्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाली पार्किंग हेतु उपविधि नगर निगम काशीपुर की सम्पूर्ण सीमा के अन्तर्गत निजी सम्पत्ति पर संचालित पार्किंग को नियन्त्रित करने हेतु निजी सम्पत्ति पर पार्किंग हेतु उपविधि वर्ष 2023 कहलायेगी जो यह गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

02- परिभाषा:-

(क)- अधिनियम का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अधिनियम 1959 यथा प्रभावी उत्तराखण्ड से है।

(ख)- नगर निगम सीमा से तात्पर्य-नगर निगम काशीपुर हेतु शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्र से है।

(ग)- नगर आयुक्त का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर में शासन के कार्मिक विभाग से तैनात नगर आयुक्त से है।

(घ)- मेयर का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित मेयर(महापौर) से है।

(ड़)- प्रशासक का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा मेयर के स्थान पर नामित अधिकारी से होगा।

(च)- बोर्ड का तात्पर्य नगर निगम काशीपुर के निर्वाचित बोर्ड से है।

(छ)- शासन से तात्पर्य उत्तराखण्ड शासन से है।

(ज)- प्रतिवर्ष से तात्पर्य वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से 31 मार्च तक है।

03- नगर निगम, काशीपुर की सीमा के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति अपनी निजी सम्पत्ति पर पार्किंग लगाने हेतु नगर निगम, काशीपुर द्वारा इस उपनियम के तहत निर्धारित शुल्क का भुगतान कर अनुमति उपरान्त ही पार्किंग का स्थापन/संचालन कर सकते हैं।

04- निजी सम्पत्ति पर पार्किंग संचालन हेतु नगर निगम, काशीपुर द्वारा नगरान्तर्गत पार्किंग करने हेतु जारी किये जाने वाला ट्रेड लाईसेन्स प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

05- पार्किंग वाले स्थान पर निर्धारित दर सार्वजनिक स्थल पर दृश्यव्य स्थान पर बड़े अक्षरों में जिसे कि आसानी से पढ़ा जा सके, प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा। जिसकी एक प्रति नगर निगम कार्यालय में जमा करनी अनिवार्य होगी।

06- पार्किंग का प्रबन्धन एवं संचालन इस प्रकार किया जायेगा कि बाजार से लगे हुए सार्वजनिक मार्ग में यातायात किसी भी प्रकार से बाधित न हो। पार्किंग के कारण यातायात बाधित होने पर लाईसेन्स प्राप्तकर्ता नियमानुसार दण्ड का भागी होगा, द्वितीय बार दण्ड की धनराशि दुगनी होगी।

07- पार्किंग सम्बन्धी भूमि के अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे एवं यदि भूमि किराये पर ली गयी है, तो नॉन ज्यूडिशल शपथ पत्र पर किरायानामा प्रस्तुत करना होगा।

08- पार्किंग का समय-समय पर/आवश्यकतानुसार निरीक्षण करने का अधिकार नगर आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (सहायक नगर आयुक्त/कर अधीक्षक/कर निरीक्षक) को होगा।

09- पार्किंग में किसी भी सामग्री की बिक्री प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों में नहीं की जायेगी तथा प्रतिबन्धित पॉलीथीन/प्लास्टिक/थर्माकोल एवं अन्य प्रतिबन्धित उत्पादों का उपयोग किये जाने पर नियमानुसार जुर्माना आरोपित किया जायेगा।

10- नगर निगम सीमान्तर्गत लगने वाले पार्किंग में कोई भी व्यक्ति/संस्था ऐसी वस्तुओं का व्यवसाय नहीं करेगा,जिस पर राज्य सरकार/शासन द्वारा पूर्ण निशेध किया जा चुका हो।

11- केन्द्र या राज्य सरकार या अन्य विधिनिहित संस्था के द्वारा निगम के नियन्त्रण हेतु लाईसेन्स इन उपविधियों से भिन्न होंगे।

12- निजी सम्पत्ति पर व्यक्ति/संस्था द्वारा पार्किंग संचालन हेतु नगर निगम में कर-विभाग के दुकान किराया अनुभाग में शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। जिस हेतु निम्न शुल्क देय होगा:-

01- चार पहिया कार हेतु:-

(01 से 25 तक वाहन खड़े होने पर) रू० 2000/- प्रतिमाह
26 से 50 तक वाहन खड़े होने पर रू० 4000/- प्रतिमाह
51 से 75 तक वाहन खड़े होने पर रू० 6000/- प्रतिमाह
76 से 100 तक वाहन खड़े होने पर रू० 8000/- प्रतिमाह
101 से अधिक वाहन खड़े होने पर रू० 10000/- प्रतिमाह

02- दो पहिया वाहन हेतु:-

(01 से 25 तक वाहन खड़े होने पर) रू० 5000/- प्रतिमाह
26 से 50 तक वाहन खड़े होने पर रू० 7000/- प्रतिमाह
51 से 75 तक वाहन खड़े होने पर रू० 9000/- प्रतिमाह
76 से 100 तक वाहन खड़े होने पर रू० 11000/- प्रतिमाह
101 से अधिक वाहन खड़े होने पर रू० 13000/- प्रतिमाह

03- ट्रक/बस (सभी प्रकार के भारी वाहन) हेतु:-

(01 से 25 तक वाहन खड़े होने पर) रू० 4000/- प्रतिमाह
26 से 50 तक वाहन खड़े होने पर रू० 10000/- प्रतिमाह
51 से 75 तक वाहन खड़े होने पर रू० 15000/- प्रतिमाह
76 से 100 तक वाहन खड़े होने पर रू० 25000/- प्रतिमाह
101 से अधिक वाहन खड़े होने पर रू० 50000/- प्रतिमाह

13- नियम-12 में निर्धारित शुल्क का 25 प्रतिशत जमा करने के उपरान्त ही लाईसेन्स देय होगा।

14- नियम-12 के उपनियम (1,2,3) में अंकित शुल्क में प्रतिवर्ष15 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी।

15- उपविधि द्वारा लिए जाने वाले शुल्क की धनराशि पूर्णांक में नहीं होने पर निकटतम अधिकतम पूर्णांक के रूप में गणना की जायेगी।

16- स्व-निर्धारण प्रपत्र द्वारा लिया जाने वाला व्यवसायिक कर एवं पार्किंग शुल्क दोनों देय होंगे।

17- निजी सम्पत्ति पर संचालित होने वाली पार्किंग का स्व-निर्धारण प्रपत्र द्वारा लिये जाने वाला कर पार्किंग स्वामी द्वारा देय होगा तथा नियम-12 के उपनियम-(1,2,3) के द्वारा लिये जाने वाला शुल्क पार्किंग संचालक(ठेकेदार) द्वारा संचालित पार्किंग पर लिया जायेगा।

18- सम्पत्ति मालिक और पार्किंग संचालक एक ही होने की दशा में व्यवसायिक कर व पार्किंग शुल्क सम्पत्ति मालिक द्वारा देय होंगे।

पार्किंग लगाये जाने हेतु उपरोक्त शर्तों में से किसी एक शर्त का भी उल्लंघन करने पर पार्किंग लगाये जाने वाले व्यक्ति/संस्था पर 25,000/- तक का अर्थदण्ड लगाया जा सकता है। आरोपित शर्तों का तीन बार से अधिक उल्लंघन करने पर अनुज्ञप्ति निरस्त की जायेगी। अर्थदण्ड को यदि व्यक्ति/संस्था द्वारा निगम कोष में नहीं जमा किया जाता है, तो भू-राजस्व की भांति वसूला जायेगा।

स्थान: काशीपुर

दिनांक: 09.10.2023

विवेक राय,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, काशीपुर।

ऊषा चौधरी,
महापौर,
नगर निगम काशीपुर।

सम्पत्ति करो की दरों का पुनरीक्षण

निर्धारित दर समस्त मोहल्लों के लिये सामान्य कर (गृहकर कारपेट एरिया दर)प्रतिवर्ग फुट प्रतिमाह													
क्र०सं०	वार्ड का नाम	पक्का भवन, आर०सी०सी०, आर०बी०			अन्य पक्का भवन			कच्चे भवन			खाली भूखण्ड जिसमें भवन न बना		
		12 मी० से कम चैड़ी सड़क	12 से 24 मी० चैड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चैड़ी सड़क	12 मी० से कम चैड़ी सड़क	12 से 24 मी० चैड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चैड़ी सड़क	12 मी० से कम चैड़ी सड़क	12 से 24 मी० चैड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चैड़ी सड़क	12 मी० से कम चैड़ी सड़क	12 से 24 मी० चैड़ी सड़क	24 मी० से अधिक चैड़ी सड़क
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	रम्पुरा नीझड़ा	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
2	जसपुर खुर्द	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
3	कृष्णा वार्ड	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
4	खड़कपुर देवीपुरा उत्तरी	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
5	कचनाल गोसाई	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
6	हेमपुर इस्माईल उत्तरी	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
7	हेमपुर इस्माईल दक्षिणी	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
8	खड़कपुर देवीपुरा पूर्वी	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
9	खड़कपुर देवीपुरा मध्य	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
10	वैशाली वार्ड	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
11	फसियापुरा	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
12	लक्ष्मीपुर पट्टी	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
13	टाण्डा उज्जैन पश्चिमी	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
14	टाण्डा उज्जैन दक्षिणी	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
15	बाजपुर रोड	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
16	सुभाष वार्ड	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
17	आवास विकास मध्य	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
18	शक्तिनगर	0.72	1.20	1.44	0.48	0.60	0.96	0.30	0.42	0.54	0.10	0.13	0.18
19	गंज	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
20	महेशपुरा मध्यं	0.72	1.20	1.44	0.48	0.60	0.96	0.30	0.42	0.54	0.10	0.13	0.18
21	महेशपुरा पश्चिमी	0.72	1.20	1.44	0.48	0.60	0.96	0.30	0.42	0.54	0.10	0.13	0.18
22	लक्ष्मीपुर पट्टी मध्य	0.72	1.20	1.44	0.48	0.60	0.96	0.30	0.42	0.54	0.10	0.13	0.18
23	अल्लीखाँ पश्चिमी	0.72	1.20	1.44	0.48	0.60	0.96	0.30	0.42	0.54	0.10	0.13	0.18
24	अल्लीखाँ मध्य	0.72	1.20	1.44	0.48	0.60	0.96	0.30	0.42	0.54	0.10	0.13	0.18
25	अल्लीखाँ दक्षिणी	0.72	1.20	1.44	0.48	0.60	0.96	0.30	0.42	0.54	0.10	0.13	0.18
26	ओझान	0.48	0.96	1.20	0.36	0.60	0.84	0.24	0.36	0.48	0.08	0.11	0.14
27	सिंघान काजीबाग	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
28	लाहोरियान	0.72	1.20	1.44	0.48	0.60	0.96	0.30	0.42	0.54	0.10	0.13	0.18
29	किला	0.48	0.96	1.20	0.36	0.60	0.84	0.24	0.36	0.48	0.08	0.11	0.14
30	पक्काकोट	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
31	कटोराताल पश्चिमी	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
32	कटोराताल मध्य	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
33	पटेलनगर	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
34	गिरीताल	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
35	चामुडा बिहार	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
36	कटोराताल उत्तरी	0.84	1.32	1.44	0.72	0.84	1.08	0.42	0.54	0.66	0.11	0.16	0.20
37	पक्काकोट पूर्वी	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
38	आदर्श वार्ड	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
39	प्रभात कालोनी	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24
40	कचनालगाजी	0.96	1.44	1.56	0.84	0.96	1.32	0.54	0.66	0.78	0.12	0.18	0.24

कार्यालय नगर निगम, काशीपुर जिला उधमसिसिंह नगर

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959(यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक लाईसेंस/पंजीकरण उपविधि 2017 संशोधित उपविधि 2023

नगर निगम, काशीपुर जिला उधमसिंह नगर(उत्तराखण्ड) ने उत्तर प्रदेश नगर निगम, अधिनियम 1959(यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 541 के अन्तर्गत नगर निगम सीमान्तर्गत विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक लाइसेंस/पंजीकरण उपविधि सरकारी गजट, उत्तराखण्ड खण्ड 23 रूडकी, शनिवार दिनांक 30 जुलाई 2022 ई0(श्रावण 08, 1944 शक सम्वत्) संख्या 31 के द्वारा गजट नोटिफिकेशन उपरान्त विधिवत् कियान्वयन उपरान्त नगर निगम, काशीपुर की बोर्ड द्वारा लाईसेंस दरो में नागरिकों पर पड रहे अत्याधिक व्यय को दृष्टिगत बोर्ड द्वारा की गयी आपत्ति पर बोर्ड प्रस्ताव संख्या 195 दिनांक 25.05.2023 एवं प्रस्ताव संख्या 203 दिनांक 09.10.2023 के द्वारा निम्न संशोधन किया जाता है।

1–लाईसेंस प्रपत्र शुल्क रू0 100.00 के स्थान पर रू0 50.00 नियत किया जाता है।

2–सभी प्रकार के व्यवसायों को नीचे तालिका में दाये ओर की तालिका में कैटेगरी/क्षमता के आधार पर संशोधिन करते हुए प्रकाशित/प्रदर्शित किया गया है। जिसे संशोधित लाईसेंस शुल्क कहा जाएगा तथा निम्नलिखित दायी ओर की तालिका में संशोधित लाइसेंस पजीकरण/नवीनीकरण शुल्क ही लाईसेंस पंजीकरण/नवीनीकरण के रूप में वसूल किया जाएगा।

3–नीचे तालिका में दायी ओर लाइसेंस पजीकरण/नवीनीकरण शुल्क का पुर्ननिर्धारण कैटेगरी बनाकर संशोधित किये जाने की बोर्ड द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकृति प्रदान की गयी है। अतः संशोधित लाईसेंस शुल्क का पुर्ननिर्धारण निम्न तालिका के दायीं ओर की कैटेगरी को लागू किया जाता है।

4–लाईसेंस शुल्क की दरो में अथदंण्ड की राशि में गजट नोटिफिकेशन की तिथि से 02 माह के लिए छूट प्रदान की जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती है।

5–अन्य नियम/दण्ड व्यवसायिक पंजीकरण नियमावली 2017 के यथावत् रहेंगे।

व्यवसायिक लाईसेंस/पंजीकरण उपविधि 2017
लाईसेंस पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क

Trade_Categary _Name(English)	Trade ID	Trade_name(Hindi)	Licence_ Fees
	1	होटल लोजिंग	
		50 बेड से अधिक	20000

व्यवसायिक लाईसेंस/पंजीकरण उपविधि 2017 संशोधित उपविधि 2023
लाईसेंस पंजीकरण/नवीनीकरण शुल्क

Trade_Categary _Name(English)	Trad	Trade_name(Hindi)	Licence_ Fees
	1	होटल लोजिंग	
	A	50 बेड से अधिक	15000
	B	01 से 05 रूम तक नॉन ए0सी0	4000

		5 रूम तक	8000		C	01 से 05 रूम तक एoसीo	6000
					D	06 से 10 रूम तक नॉन एoसीo	5000
		10 रूम तक	16000		E	06 से 10 रूम तक एoसीo	12000
					F	11 से 20 रूम तक नॉन एoसीo	6000
					G	11 से 20 रूम तक एoसीo	13000
					H	20रूम से अधिक नॉन एoसीo	10000
		10 रूम से अधिक	20000		I	20रूम से अधिक एoसीo	15000
Hotels/Lodge/ Guest House/Resort	2	3 स्टार होटल	20000	Hotels/Lodge/ Guest House/Resort	2	3 स्टार होटल	12000
	3	4 स्टार होटल	25000		3	4 स्टार होटल	18750
	4	5 स्टार होटल	30000		4	5 स्टार होटल	22500
	5				5	गेस्ट हाउस	
					A	1 से 10 रूम तक नॉन एoसीo	1500
		10 रूम तक	4000		B	1 से 10 रूम तक एoसीo	3000
					C	11 से 20 रूम तक नॉन एoसीo	3000
		20 रूम तक	8000		D	11 से 20 रूम तक एoसीo	6000
					E	21 से 30 रूम तक नॉन एoसीo	5000
		30 रूम तक	10000		F	21 से 30 रूम तक एoसीo	7500
					G	30 रूम स अधिक नॉन एoसीo	6000
					H	30 रूम स अधिक नॉन एoसीo	10000
	6		2000		6	होटल गाईड लाईसेंस	1500
	7				7	हॉस्टल	
					A	1 से 10 रूम तक नॉन एoसीo	3000
		10 बैड तक	8000		B	1 से 10 रूम तक एoसीo	6000
					C	11 से 20 रूम तक नॉन एoसीo	5000
		20 बैड तक	10000		D	11 से 20 रूम तक एoसीo	7500
					E	21 से 30 रूम तक नॉन एoसीo	7000
		30 बैड तक	15000		F	21 से 30 रूम तक एoसीo	11250
					G	31 से 50 बैड तक नॉन एoसीo	7500
		50 बैड तक	20000		H	31 से 50 बैड तक एoसीo	15000
					I	50 बैड से अधिक नॉन एoसीo	10000
		50 बैड से अधिक	25000		J	50 बैड से अधिक एoसीo	18750
	8		25000		8	हेल्थ रिसोर्ट	18750
			8000		A	रिसॉर्ट / मैरिज हॉल एoसीo रहित	10000

HEALTH CARE

9		
	51 से 100 बैड तक	20000
	100 बैड तक	30000
	अन्य	8000
10	प्रसुति घर	
	21 से 50 बैड तक	16000
	51 से 100 बैड तक	20000
	100 बैड तक	25000
11	डायगनोस्टिक सेन्टर (अल्ट्रासाउण्ड/सी0	8000

B	रिसॉर्ट/मैरिज हॉल ए0सी0 सहित	15000
C	धर्मशाला/मुसाफिर खाना	2500
D	सभा	2500
9	नर्सिंग होम	
A	01 से 5 बैड तक	2500
B	06 से 10 बैड तक	3000
C	11 से 20 बैड तक	6000
D	21 से 30 बैड तक	8000
E	31 से 40 बैड तक	9000
F	41 से 50 बैड तक	9500
G	51 से 60 बैड तक	10000
H	61 से 70 बैड तक	13000
I	71 से 80 बैड तक	15000
J	81 से 90 बैड तक	18000
K	91 से 100 बैड तक	20000
L	100 बैड से अधिक	22500
M	अन्य	6000
10	प्रसुति घर	
A	01 से 5 बैड तक	2000
B	06 से 10 बैड तक	3000
C	11 से 20 बैड तक	5000
D	21 से 30 बैड तक	7000
E	31 से 40 बैड तक	10000
F	41 से 50 बैड तक	11000
G	51 से 60 बैड तक	12000
H	61 से 70 बैड तक	13000
I	71 से 80 बैड तक	14000
J	81 से 90 बैड तक	14500
K	91 से 100 बैड तक	15000
L	100 बैड से अधिक	22500
11	डायगनोस्टिक सेन्टर	
A	डायगनोस्टिक सेन्टर (अल्ट्रासाउण्ड)	1500
B	डायगनोस्टिक सेन्टर (सी0टी0स्कैन)	1500

				C	डायगनोस्टिक सेन्टर (एम0आर0आई0)	1500
				D	पैथोलॉजी लेब	4000
				E	पैथेलॉजी सेम्पल सेन्टर	2000
			12		प्राईवेट क्लीनक	
				A	एलोपैथिक क्लीनिक	3500
				B	आर्यूवेदिक क्लीनिक	3000
				C	यूनानी क्लीनिक	1500
				D	दन्त क्लीनिक	2000
				E	आंखो का क्लीनिक	2000
				F	नाक कान गला क्लीनिक	2000
				G	होम्योपैथिक क्लीनिक	2000
12	आर्यूवेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक क्लीनि	6000		H	आर्यूवेदिक / यूनानी / होम्योपैथिक क्लीनिक	4500
13	मैखिकल / आर्युवेदिक स्टोर	4000	13		मेडिकल स्टोर	
				A	मैडिकल स्टोर एलौपैथिक,आर्युवेदिक	1500
				B	मैडिकल स्टोर पशु	1500
				C	मैडिकल / आर्युवेदिक स्टोर	3000
14	पशु चिकित्सालय	8000	14		पशु चिकित्सालय	4000
				A	पशु चिकित्सालय केवल ओ0पी0डी0.	2500
				B	पशु चिकित्सालय भर्ती व बेड युक्त.	6000
	अन्य कोई	6000			अन्य कोई	4000
			15		ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी	
15	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (बिना वाहन)	8000	16		ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (बिना वाहन)	6000
16	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (वाहन सहित)	12000		A	ट्रान्सपोर्ट एजेन्सी (वाहन सहित)	
				B	हेंवी गुड्स	
				C	1 से 10 वाहन तक	3000
				D	11 से 20 वाहन तक	6000
				E	21 वाहन से अधिक	9000
	हेंवी गुड्स	8000			लाईट गुड्स	
				F	1 से 10 वाहन तक	2000
				G	11 से 20 वाहन तक	4000
				H	21 वाहन से अधिक	6000
17	ट्रॉली / वाटर टेंक / सीवेज टेंक		17		ट्रॉली / वाटर टेंक / सीवेज टेंक	5000
18	अन्य 4 पहिया वाहन (वाणिज्यिक इंजन	8000	18		अन्य 4 पहिया वाहन (वाणिज्यिक इंजन के साथें)	6000

Good Carriage Transport

	19	लकड़ी टॉल`कर	2000
	20	धर्मकांटा	4000
21		संग्रह केन्द्र	4000
		अन्य कोई	3000
	22	टैक्सी सर्विस	4000
	23	ऑटो रिक्शा	
		07 सीट से ऊपर	2000
	24	साईकिल रिक्शा	
		02 सीट	800
		04 सीट	1000
	25	ई–रिक्शा 04 सीट या अधिक	2500
	26	रिक्शा पूलर	2000
	27	रिक्शा ड्राईवर लाईसेंस	2000
	28	रिक्शा स्वामी लाईसेंस	3000
29		रिक्शा किराये पर लाईसेंस	3000
	30	रिक्शा स्वास्थ्य लाईसेंस	2000
	31	रिक्शा एम्प्लीफायर विज्ञापन	4000
	32	मिनी बस	10000
	33	बस	15000

Good Carriage Transport

19		लकड़ी टॉल`कर	1500
	A	लकड़ी बिक्री टॉल	1000
	B	सैटरिंग टॉल	2000
20		धर्मकांटा	3000
21		संग्रह केन्द्र	
	A	अनाज संग्रह केन्द्र	2000
	B	फल व सब्जी संग्रेह केन्द्र	1000
		अन्य कोई	3000
22		टैक्सी सर्विस	3000
		साधारण कार	500
		लैक्सरी कार	1000
		स्कूल वैन	1000
		स्कूल बस	1500
		फैक्ट्री बस	2500
23		ऑटो रिक्शा	
	A	4 सीट	500
	B	7 सीट	1000
	C	07 सीट से ऊपर	1500
15		साईकिल रिक्शा	
	A	02 सीट	100
	B	04 सीट	200
25		ई–रिक्शा 04 सीट या अधिक	1800
26		रिक्शा पूलर माल ढुलाई	500
27		रिक्शा ड्राईवर लाईसेंस	1000
28		ई–रिक्शा स्वामी लाईसेंस	5000
29		ई–रिक्शा/ऑटो रिक्श किरायेा पर लाईसेंस	
	A	01 से 05 रिक्शा किराये पर लाईसेंस	1000
	B	06 से 10 रिक्शा किराये पर लाईसेंस	3000
	C	11 से अधिक रिक्शा किराये पर लाईसेंस	5000
30		रिक्शा स्वास्थ्य लाईसेंस	1500
31		रिक्शा एम्प्लीफायर विज्ञापन	3000
32		मिनी बस	8000
33		बस	11000

Pessenger Transportation

34	स्कूटर एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	25000
35	मोटर एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	40000
36	साईकिल एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	15000
37	रिक्शा एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	20000
38	मौटर कार्यशाला	20000
39	स्कूटर कार्यशाला	15000
40	बोट स्वामी लाईसेंस	4000
41	बोट पूलर लाईसेंस	2000
42	पैडल बोट लाईसेंस	
	सिंगल सीट	2000
	डबल सीट	4000
43	तांगा / बग्गी / हाथठेला / लकड़ी की टो	1000
44	ऑटो उपकरण	3000
45	गैरेज पार्किंग हेतु	2000

Pessenger Transportation

34	स्कूटर एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	18750
35	मोटर एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	30000
36	साईकिल एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	11250
37	रिक्शा एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	15000
A	ई–रिक्शा एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	5000
B	ऑटो रिक्शा एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	8000
C	ट्रैक्टर एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	10000
D	ट्रैक्टर एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	15000
E	बस–ट्रक एजेन्सी (संल्स एण्ड सर्विस)	
38	मौटर कार्यशाला	
A	हेवी	15000
B	कार	13000
C	स्कूटी / बाईक	5000
39	स्कूटर कार्यशाला	11250
40	बोट स्वामी लाईसेंस	3000
41	बोट पूलर लाईसेंस	1500
42	पैडल बोट लाईसेंस	
A	सिंगल सीट	1500
B	डबल सीट	3000
43A	तांगा / बग्गी	1000
B	हाथठेला	500
44	ऑटो उपकरण	
	दो पहिया वाहन आटो उपकरण	2500
	तीन पहिया वाहन आटो उपकरण	3000
	चार पहिया वाहन ऑटो उपकरण	5000
45	गैरेज पार्किंग हेतु	
A	01 से 05 चार पहिया वाहन	500
B	06 से 10 चार पहिया वाहन	1000
C	11 या उससे अधिक चार पहिया वाहन	2000
D	01 से 05 तीन पहिया वाहन	500
E	06 से 10 तीन पहिया वाहन	1000
F	11 या उससे अधिक तीन पहिया वाहन	1500
G	01 से 05 दो पहिया वाहन	200

Health & education Center

	अन्य कोई	4000
46	प्राईवेट स्कूल	
	प्राईमरी 5वीं	6000
	जूनियर हाई स्कूल (8वीं)	8000
	हाई स्कूल (10वीं)	10000
	इण्टीरनीहढिएट (12वीं)	20000
47	कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र	
	प्राईवेट	4000
	संबद्ध	3000
48	कोचिंग क्लासेस एण्ड कोचिंग सेंटर .	
	प्राईवेट	6000
	संबद्ध	4000

Health & education Center

H	06 से 10 दो पहिया वाहन	500
I	11 या उससे अधिक दो पहिया वाहन	1000
J	अन्य कोई	3000
46	प्राईवेट स्कूल	
A	प्राईमरी 5वीं 200 छात्र तक	2000
B	प्राईमरी 5वीं 500 छात्र तक	3000
C	प्राईमरी 5वीं 500 छात्र से अधिक	4500
D	जूनियर हाई स्कूल (8वीं)200 छात्र तक	3000
E	जूनियर हाई स्कूल (8वीं)500 छात्र तक	4000
F	जूनियर हाई स्कूल (8वीं)500 छात्र से अधिक	6000
G	हाई स्कूल (10वीं) 200 छात्र तक	4000
H	हाई स्कूल (10वीं) 500 छात्र तक	6000
I	हाई स्कूल (10वीं) 500 छात्र से अधिक	8000
J	इण्टीरनीहढिएट (12वीं) 200 छात्र तक	5000
K	इण्टीरमीडिएट (12वीं) 500 छात्र तक	10000
L	इण्टीरमीडिएट (12वीं) 500 छात्र तक	15000
M	इण्टीरमीडिएट (12वीं) अल्पसंख्यक सरकारी कार्य पोषित	5000
47	कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र	
A	प्राईवेट कम्प्यूटर केन्द्र 50 छात्र	2000
B	प्राईवेट कम्प्यूटर केन्द्र 50 छात्र से अधिक	3000
C	संबद्ध सरकार द्वारा सहायता प्राप्त	3000
	50 छात्र	1000
D	संबद्ध सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 50 छात्र से अधिक	1500
48	कोचिंग क्लासेस एण्ड कोचिंग सेंटर	
A	प्राईवेट कोचिंग सेंटर 50 छात्र सख्या	2000
B	प्राईवेट कोचिंग सेंटर 100 छात्र सख्या	3000
C	प्राईवेट कोचिंग सेंटर 200 छात्र सख्या	4000
D	संबद्ध सरकार द्वारा सहायता प्राप्त	3000
	50 छात्र सख्या	1000
E	संबद्ध सरकार द्वारा सहायता प्राप्त 100 छात्र सख्या	2000

					F	संबद्ध सरकार द्वारा सहायता प्राप्त	
						200 छात्र सख्या	3000
	49	फिजियोथैरेपी क्लीनिक/योगा केन्द्र	6000	49		फिजियोथैरेपी क्लीनिक/योगा क्लीनिक	
					A	फिजियोथैरेपी क्लीनिक	2000
					B	योगा केन्द्र क्लीनिक	1000
	50	स्वीमिंग क्लोसेस केन्द्र	10000	50		स्वीमिंग क्लोसेस केन्द्र	3000
	51	जिन/व्यायामशाला/गैम्स	6000	51		जिम/व्यायामशाला/गैम्स	
					A	जिम साधारण व्यायामशाला	3000
					B	ए0सी0 लकसी व्यायामशाला	4000
					C	गेम्स कैरम, स्नूकर, बिलियर्ड	4000
	52	मूकबधिर स्कूल	2000	52		मूकबधिर स्कूल	100
	53	मोटर ट्रेनिंग स्कूल	6000	53		मोटर ट्रेनिंग स्कूल	
					A	01 से 05 वाहन द्वारा	2000
					B	6 से अधिक वाहन द्वारा	4000
		अन्य कोई	5000			अन्य कोई	3750
Restaurants	54	रेस्टोरेंट एण्ड ऑल फूड्स		54		रेस्टोरेंट एण्ड ऑल फूड्स	
					A	ए0सी0 रेस्टोरेंट 10 सीट तक	2000
					B	ए0सी0 रेस्टोरेंट 20 सीट तक	3000
		ए0सी0	5000		C	ए0सी0 रेस्टोरेंट 30 सीट तक	4000
		नॉन ए0सी0	2500		D	ए0सी0 रेस्टोरेंट 40 सीट तक	5000
					E	नॉन ए0सी0 रेस्टोरेंट 10 सीट तक	1000
					F	नॉनए0सी0 रेस्टोरेंट 20 सीट तक	2000
					G	नॉनए0सी0 रेस्टोरेंट 30 सीट तक	3000
					H	नॉनए0सी0 रेस्टोरेंट 40 सीट तक	4000
					I	सामान्य खान पान की दुकान	1000
					J	चाय की दुकान	500
	55			55			
		ए0सी0	15000		A	ए0सी0 बार रेस्टोरेंट	12000
		नॉन ए0सी0	10000		B	नॉन ए0सी0 बार रेस्टोरेंट	8000
	56	पब	20000	56		पब	15000
	57	ढाबा/भोजनालय	4000	57		ढाबा/भोजनालय	
					A	मैन हाईवें के अतिरिक्त	2000
					B	हाईवे पर	3000

	58	खानपान	3000		58		फास्ट फूड सेन्टर	1500
		अन्य कोई	3000			B	अन्य कोई	1500
Petroleum	59	पेट्रोल/डीजल पम्प		Petroleum	59		पेट्रेल/डीजल पम्प	
		थोक	20000			A	थोक	10000
		खुदरा	10000			B	खुदरा	
						A	4 नोजिल	2000
						B	8 नोजिल	4000
						C	12 नोजिल	6000
						D	16नोजिल	8000
						E	20 नोजिल और अधिक	10000
					F		सी0.एन0जी0 पम्प	
						G	सी0.एन0जी0 पम्प थोक	4000
						H	सी0एन0जी0 खुदरा	4000
	60	कैरोसिन/स्प्रिट/एसिड			60		कैरोसिन/स्प्रिट/एसिड	
		थोक	5000			A	थोक	3750
		खुदरा	3000			B	खुदरा	2250
	61	कुकिंग गैस एजेन्सी			61		कुकिंग गैस एजेन्सी	
		थोक	25000			A	थोक	20000
		खुदरा	10000			B	खुदरा	8000
	62	अन्य पेट्रोलियम शॉप	8000		62		अन्य पेट्रोलियम शॉप	6000
		अन्य कोई	7000				अन्य. कोई	5250
Factory/Mill	63	कोल्ड ड्रिक्स/सोडा/वाटर फैक्ट्री	10000	Factory/Mill	63		कोल्ड ड्रिक्स/सोडा/वाटर फैक्ट्री	10000
						B	कोल्ड ड्रिक्स/सोडा/वाटर एजेन्सी	5000
						C	आईस कीम फैक्ट्री	3000
	64	साबंन फैक्ट्री	20000		64		साबंन फैक्ट्री	15000
	65	चूना भट्टी	4000		65		चूना भट्टी	3000
	66	स्पाईस मिल/पल्स ग्राईन्डर	10000		66		स्पाईस मिल	7500
						B	मसाला पीसने की चक्की	1000
	67	पीसने की मशीन	6000		67		पीसने की मशीन	
						B	आटा चक्की	500
						C	तेल पिसाई मशीन	1000
	68	कॉटन मशीन	6000		68		कॉटन मशीन	1500
	69	भूसा स्टोर	4000		69		भूसा स्टोर	3000

Workshop	70	धान मशीन	8000	Workshop	70	धान मशीन	2000
					A	फ्लोर मिल	10000
					C	तेल मिल	6000
					E	एक्सपेलर छोटे	2000
					F	राईस मिल	10000
					H	पेपर मिल	30000
					I	पैकेजिंग फैक्टी	2500
	71	शराब वाटलिंग प्लांट	40000		71	शराब वाटलिंग प्लांट	50000
	72	आसवानी	30000		72	आसवानी	30000
		अन्य कोई	10000			अन्य कोई	10000
	73	लोहार	6000		73	लोहार	4500
						लोहार छोटा व्यवसायी	500
	74	कबाड़ी	1000		74	कबाड़ी	750
	75	कबाड व्यवसाय	10000		75	कबाड व्यवसाय	7500
	76	इलैक्ट्रीकल कार्यशाल	10000		76	इलैक्ट्रीकल कार्यशाल	5000
	77	आरामशीन	8000		77	आरामशीन छोटी	6000
						आरामशीन बडी	12000
	78	कम्प्रेशर/पंचर आदि	2000		78	कम्प्रेशर/पंचर आदि	500
	79	एल्युमिनियम/लोहा वेल्डिंग वर्कशॉप	6000		79	एल्युमिनियम/लोहा वेल्डिंग वर्कशॉप	3000
	80	ट्रैक्टर मरम्मत	6000		80	ट्रैक्टर मरम्मत	5000
	81	पम्प मरम्मत	4000		81	पम्प मरम्मत	1000
	82	डेंटिंग पैंटिंग	4000		82	डेंटिंग पैंटिंग	3000
	83	अन्य कार्यशाला	4000		83	अन्य कार्यशाला	4000
					A	लकडी की टॉल	5000
					B	लकडी का कारखाना	3000
					C	बढई	3000
					D	सेलॅन नॉन ए०सी०	500
					E	सेलॅन ए०सी०	1000
					F	ब्यूटी पार्लर नॉन ए०सी०	500
					G	ब्यूटी पार्लर ए०सी०	2000
					H	ब्यूटी पार्लर नॉन ए०सी ब्राण्डेड	5000
					I	ब्यूटी पार्लर ए०सी० ब्राण्डेड	10000
	84	संरचना/गढाई/अन्य निर्माण कार्य	4000		84	संरचना/गढाई/अन्य निर्माण कार्य	4000

	85	वाहनों की धुलाई	3000
	86	साईन बोर्ड/बेनर मेकर	4000
		अन्य कोई	4000
Power	87	पावर	
		10 एच0पी0	2000
		10 से 20 एच0पी0	4000
		20 से 40 एच0पी0	6000
		50 से 100 एच0पी0	8000
		अन्य कोई	4000
Livestock/ Animal Husbandry	88	अण्डा शॉप	6000
	89	मछली	4000
	90	सुअर व भैसा मीट	4000
	91	पशु वधशाला	10000
	92	पशु घर	6000
	93	पशुधन विकता (पक्षी)	3000
	94	पशुधन विकता (जानवर)	5000
	95	घी/दूध डेयरी	4000
	96	मुर्गी फार्म	15000
	97	हड्डी खाल गोदाम	1000
		अन्य कोई	6000
Banking/Insurance	98	चिट फण्ड	10000
	99	बैंक	20000
	100	मनी लेण्डर/एक्सचेंजर	15000

	85	वाहनों की धुलाई	3000
	86	साईन बोर्ड/बेनर मेकर	4000
		अन्य कोई	4000
Power	87	पावर	
	A	10 एच0पी0	1500
	B	10 से 20 एच0पी0	3000
	C	20 से 40 एच0पी0	4500
	D	50 से 100 एच0पी0	6000
	E	अन्य कोई	3000
Livestock/ Animal Husbandry	88	अण्डा शॉप	4500
	89	मछली मीट शॉप होल सेलर	3000
	B	मछली मीट शॉप बडी दुकान	2000
	C	मछली मीट शॉप छोटा फड	1000
	90	सुअर मीट शॉप	1500
	B	मुर्गा मीट शॉप	1500
	C	भैसा मीट शॉप	1500
	D	बकरा मीट शॉप	3000
	E	मुर्गा बकरा मीट शॉप	4000
	F	मुर्गा बकरा मछली मीट शॉप	4500
	91	पशु वधशाला	7500
	92	पशु घर	4500
	93	पशुधन विकता (पक्षी)	2250
	94	पशुधन विकता (जानवर)	3750
	95	घी/दूध डेयरी छोटे व्यापारी	1000
	B	घी/दूध डेयरी बडे व्यापारी	5000
	C	ब्राण्डेड पैक्ड दूध, घी, दही आदि की एजेन्सी	3000
	96	मुर्गी फार्म अण्डा हेतु	6000
	B	मुर्गी फार्म मांस हेतु	12000
	97	हड्डी खाल गोदाम	750
		अन्य कोई	4500
Banking/Insurance	98	चिट फण्ड/फाईनेंस कम्पनी	7500
	99	बैंक	15000
	100	मनी लेण्डर/एक्सचेंजर	12500

/Finance	101	ए०टी०एम० बैंक ऑन साईट/ऑफ साईट	6000	/Finance	101	ए०टी०एम० बैंक ऑन साईट/ऑफ साईट	4500
		अन्य कोई	5000			अन्य कोई	4000
	102	आर्कटैक्ट/सलाहकार	6000		102	आर्कटैक्ट/सलाहकार	3000
					B	आर्कटैक्ट/सलाहकार कम्पनी	4500
	103	औनर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टॉवर	5000		103	औनर ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टॉवर	10000
	104	बिल्डर/रजिस्टर ए क्लास	10000		104	बिल्डर/कन्सट्रक्शन कम्नी	7500
					B	बिल्डर/रजिस्टर ए क्लास	4000
					C	बिल्डर/रजिस्टर बी क्लास	3000
					D	बिल्डर/रजिस्टर सी क्लास	2000
	105	प्रापर्टी डीलर	10000		105	प्रापर्टी डीलर एजेन्सी/कम्पनी	7500
					B	प्रापर्टी डीलर	3000
	106	स्अोन केशर	20000		106	स्टोन क्रेशर	15000
	107	एडवरटाईजिंग एजेन्सी	10000		107	एडवरटाईजिंग एजेन्सी	7500
	108	समाचार पत्र/मुख्य/जर्नल पब्लिसर (प्रेस	15000		108	समाचार पत्र/मुख्य/जर्नल पब्लिसर	
		(प्रेस के बिना)			B	(प्रेस के बिना) रेगीन फुल साईज	1000
					C	पाक्षिक	2000
					D	साप्ताहिक	3000
					E	दैनिक	3000
Firm/Compnies /Agency	109	समाचार पत्र/मुख्य/जर्नल पब्लिसर (प्रेस	25000	Firm/Compnies /Agency	109	समाचार पत्र/मुख्य/जर्नल पब्लिसर	
					B	(प्रेस सहित) रेगीन फुल साईज	
					C	पाक्षिक	2000
					D	साप्ताहिक	3000
					E	दैनिक	4000
	110	काल सेन्टरा/बिजनेस प्रोसेस आउट सो	10000		110	काल सेन्टरा/बिजनेस प्रोसेस आउट सोर्सिंग	7500
	111	फिल्म मैकिंग स्टुडियों	15000		111	फिल्म मैकिंग स्टुडियों	10000
	112	वैवाहिक एजेन्सी	10000		112	वैवाहिक एजेन्सी	7500
	113	सफाई ठेकेदार	8000		113	सफाई ठेकेदार	6000
	114	मॉडलिंग एजेन्सी	10000		114	मॉडलिंग एजेन्सी	7500
	115	व्यावसाकिय/सदस्य क्लब	10000		115	व्यावसाकिय/सदस्य क्लब	7500
	116	कार्यालय/चैम्बर/स्टुडियो	6000		116	व्यक्तिगत वाणिज्यिक कार्यालय/चैम्बर	5000
	117	अन्य कोई	5000		117	अन्य कोई	3750
	118	पान/सिगरेट शाप	3000		118	पान/सिगरेट शाप औटो वेन	2000
						पान/सिगरेट शाप हाथ ठेला	1000

Street Vender	119	जूस स्टॉल	4000
	120	स्त्री स्टॉल	2000
	121	लेदर उद्यम	5000
		अन्य कोई	4000
Liquor Retail	122	विदेशी शराब गोदान	25000
	123	भांग का ठेका	10000
	124	विदेश शराब की कैंटीन	10000
	125	देशी शराब की कैंटीन	8000
		अन्य कोई	6000
	126	जनरल स्टोर	4000
	127	किराना स्टोर	4000
	128	सरकारी जनरल व्यापारी	4000
	129	खादी वस्त्र भण्डार	4000
	130	स्वीट्स शाफप	4000

Street Vender	119		जूस स्टॉल शॉप	2000
		B	जूस स्टॉल फल हाथ ठेला	1000
		C	गन्ने का कोल्हू	500
	120		प्रेस स्टॉल	1500
			प्रेस स्टॉल हाथ ठेला	500
	121		लेदर उद्यम शॉप	2000
		B	लेदर कार्य	100
		C	हाथ गाडी पर खान–पान	1500
		D	औटो वैन पर खान–पान	2000
		E	चाय की दुकान	500
		F	आईसक्रीम पार्लर विकता	1500
		G	फल व सब्जी फरीवाला	500
		H	अन्य कोई	1000
Liquor Retail	122		विदेशी शराब गोदाम	20000
	123		भांग का ठेका	8000
	124		विदेश शराब की कैंटीन	10000
	125		देशी शराब की कैंटीन	8000
			अन्य कोई	6000
	126		जनरल स्टोर बडी थोक दुकान	3000
		B	जनरल स्टोर बडी फुटकर दुकान	2000
		C	जनरल स्टोर छोटी फुटकर दुकान	500
		E	जूतो की दुकान	3000
		F	ब्राण्डेड जूतो का शौरूम	5000
		G	ज्वेलरी शॉप	8000
		H	ब्राण्डेड ज्वेलरी शॉरूम	15000
	127		किराना स्टोर बडी थोक दुकान	2000
		B	किराना स्टोर बडी फुटकर दुकान	1000
		C	किराना स्टोर छोटी फुटकर दुकान	500
	128		सरकारी जनरल व्यापारी	500
	129		खादी वस्त्र भण्डार	500
	130		स्वीट्स शाप	
		A	स्वीट्स शाप बडी दुकान	10000
		B	स्वीट्स शाप छोटी दुकान	1000

Retail Shops/ Store

131	मेवे की दुकान	4000
132	बुक पब्लिशर/विकता पुस्तक में आपूर्तिक	6000
133	स्टेशनरी	4000
134	फल व सब्जी की दुकान	5000
135	फल व सब्जी की आढत	10000
136	अनाज तिलहन चीनी गुड खाण्डसारी	
	थोक	10000
	खुदरा	5000
137	धोबी	2000
138	हॉकर/फेरीवाला	1000
139	चूडी विकता	2000
140	कपास द रूई विकता	2000
141	ऊन होजरी	2000
142	फर्नीचर हाउस	
	बॉडेड	10000
	नॉन बॉडेड	6000
143	हस्तशिल्प	4000
144	टेलीविजन, एयर कन्डीशनर, रेफिजेरेटर	8000
	एण्ड वाशिक मशीन एप्लाईसेंस	

Retail Shops/ Store

131		मेवे की दुकान	
	A	कन्फैक्शनरी बडी थोक दुकान	3000
	B	कन्फैक्शनरी बडी फुटकर दुकान	2000
	C	कन्फैक्शनरी छोटी फुटकर दुकान	1000
132		बुक पब्लिशर/विकता पुस्तक में आपूर्तिकर्ता	6000
133		स्टेशनरी	
	A	स्टेशनरी की बडी थोक दुकान	3000
	B	स्टेशनरी कीबडी फुटकर दुकान	2000
	C	स्टेशनरी की छोटी फुटकर दुकान	1000
134		फल व सब्जी की दुकान	2000
		फल व सब्जी का फड	500
135		फल व सब्जी की आढत	7500
136		गुड/तिलहन/खाण्डसारी	
	A	थोक	3000
	B	खुदरा	1500
137		ड्राईक्लीनर्स	1500
138		हॉकर	100
	B	फेरीवाला	500
139		चूडी विकता	1500
140		कपास व रूई विकता	1500
141		ऊन होजरी	1000
142		फर्नीचर हाउस	
	A	बॉडेड शौरूम	5000
	B	नॉन बॉडेड	3000
143		हस्तशिल्प	
	A	हेण्डलूम शॉप	1500
	B	हेण्डलूम शॉरूम	3000
	C	कपडे की दुकान	1000
	D	रेडीमेड कपडो की दुकान	1000
	E	ब्राण्डेड रेडीमेड शौरूम	4000
	F	ब्राण्डेड अन्य प्रकार के शौरूम	5000
144		टेलीविजन, एयर कन्डीशनर, रेफिजेरेटरए	
		एण्ड वाशिक मशीन एप्लाईसेंस	

	बड़े शौरूम	
145	हार्डवेयर की दुकान	6000
146	इलैक्ट्रॉनिक्स आईटम	6000
147	इलैक्टीकल्स आईटम	4000
148	कन्स्ट्रक्शन एण्ड बिल्डिंग्स मैटेरियल	20000
149	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर स्टोर	6000
150	मोबाईल फोन आउटलेट	10000
151	क्लॉक रिपेयर/सेलर	2000
152	केबिल/डिश टी0वी0 ऑपरेटर	10000
153	फोटो स्टूडियो/विडियाग्राफर/साईबर कै	5000
154	कूरियर सर्विस/लॉजिस्टिक मैनेजमेंट	8000
155	ई-मैल/ई-कामर्स/इन्टरनेट/साईबर	5000
156	समाचार पत्र वितरक	1000
157	फोटोकॉपी व अन्य	1000
158	फर्टीलाईजर की दुकान	6000

A	बड़े शौरूम	6000
B	छोटे शोरूम	3000
145	हार्डवेयर की बड़ी दुकान	2000
B	हार्डवेयर की छोटी दुकान	1000
C	हार्डवेयर शौरूम	4000
146	इलैक्ट्रॉनिक्स आईटम थोक की दुकान	4000
B	इलैक्ट्रॉनिक्स आईटम रिटेल की दुकान	2000
C	इलैक्ट्रॉनिक्स आईटम की छोटी दुकान	1000
147	इलैक्ट्रिक आईटम थोक की दुकान	4000
B	इलैक्ट्रिक आईटम रिटेल की दुकान	2000
C	इलैक्ट्रिक आईटम की छोटी दुकान	1000
148	कन्स्ट्रक्शन एण्ड बिल्डिंग्स मैटेरियल	10000
B	मार्बल एवं टाईल्स की दुकान	3000
C	मार्बल एवं टाईल्स शौरूम	10000
D	सेनेटरी एण्ड हार्डवेयर का शौरूम	8000
E	सेनेटरी एण्ड हार्डवेयर बड़ी की दुकान	3000
F	सेनेटरी एण्ड हार्डवेयर छोटी की दुकान	1000
149	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर स्टोर	3000
B	कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर शौरूम	4500
150	मोबाईल फोन आउटलेट शौरूम	7500
B	मोबाईल फोन शॉप	3000
C	मोबाईल फोन रिपेयरिंग शॉप	2000
151	क्लॉक रिपेयर/सेलर	1000
152	केबिल/डिश टी0वी0 ऑपरेटर	2000
153	फोटो स्टूडियो/विडियाग्राफर	3000
	साईबर कैफे/विडियो गेम	2000
154	कूरियर सर्विस/लॉजिस्टिक मैनेजमेंट	3000
B	ऑनलाईन बिजनेस सप्लायर	6000
155	ई-मैल/ई-कामर्स/इन्टरनेट/साईबर	3000
156	समाचार पत्र वितरक	500
157	फोटोकॉपी व अन्य	500
158	फर्टीलाईजर की बड़ी दुकान	3000
B	फर्टीलाईजर की छोटी दुकान	2000

159	डी0जे0 ध्वनी	5000
160	लाउण्डसपीकर/एम्प्लीफायर	4000
161	बेण्ड मास्टर	4000
162	फूल विकेता/आपूर्तिकर्ता	4000
163	टैटू पॉर्लर	2000
164	सांस्कृतिक या धार्मिक मेला या त्यौहार	10000
165	सुपर मार्केट	25000
166	शॉपिग मॉल	20000
167	सिनेमा हॉल	20000
168	मल्टीप्लेक्स	25000
169	टेण्ड हाउस	10000
170	छापाखाना	5000
171	संग्राहलय/आर्ट गैलरी	8000
172	पौधो की नर्सरी	2000
173	पूजा सामग्री	2000
174	स्मारिका स्टोर	2000
175	सर्कस	10000
176	प्रदर्शिनी	10000
177	पटाखो की दुकान	4000
178	साप्ताहिक बाजार	15000
179	दैनिक बाजार	10000

159	डी0जे0 ध्वनी हाई फाई	4000
B	डी0जे0 ध्वनी सामान्य	2000
160	लाउण्डसपीकर/एम्प्लीफायर	2000
161	बेण्ड मास्टर	1000
162	फूल विकेता/आपूर्तिकर्ता	2000
B	फूल विकेता/माली	500
163	टैटू पॉर्लर	3000
164	सांस्कृतिक या धार्मिक मेला या त्यौहार	500
165	सुपर मार्केट सामान्य	10000
B	सुपर मार्केट ब्राण्डेड	20000
166	शॉपिग मॉल सामान्य	10000
B	शॉपिग मॉल ब्राण्डेड	15000
167	सिनेमा हॉल	5000
168	मल्टीप्लेक्स	10000
169	टेण्ड हाउस	5000
B	कैटर्स	2000
170	छापाखाना /प्रिटिंग प्रेस	2000
171	संग्राहलय/आर्ट गैलरी	4000
172	पौधो की नर्सरी बडी	3000
B	पौधो की नर्सरी छोटी	2000
173	पूजा सामग्री	500
174	स्मारिका स्टोर	2000
175	सर्कस	10000
176	प्रदर्शिनी	5000
177	पटाखो की गोदाम	10000
	पटाखो की दुकान	2000
178	साप्ताहिक बाजार	15000
179	दैनिक बाजार	10000
A	पेन्ट क बडी दुकान	2500
B	पेन्ट की छोटी दुकान	1000
C	पेन्ट की गली मेंछोटी दुकान	500
D	टायर बडी शॉप	10000
E	टायर छोटी शॉप	5000

			F	टायर छोटी शॉप गली में		2500
			G	बर्तन स्टोर		2500
			H	प्लास्टिक के सामान की दुकान		2500
			I	चश्मे व घडी की दुकान		2500
			J	स्पोर्टस शॉप		3000
			K	अन्य दुकान		3000

विवेक राय,
नगर आयुक्त,
नगर निगम, काशीपुर।

ऊषा चौधरी,
महापौर,
नगर निगम काशीपुर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 03 हिन्दी गजट/03–भाग 8–2024 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।